खण्ड-3

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025-2026 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

फरवरी, 2025

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2025-2026 के

आय-व्ययक में

सम्मिलित

व्यय की नई मांग

प्रस्तावनिक टिप्पणी

इस खण्ड में आय–व्ययक साहित्य के विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत सम्मिलित व्यय की नई मांग की सूची एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिससे आय–व्ययक साहित्य के अध्ययन में सुविधा होगी ।

इस खण्ड में कुछ ऐसी योजनायें / परियोजनायें भी सम्मिलित हैं जिनकी विस्तृत स्क्रूटनी नहीं की जा सकी है । ऐसी योजनाओं / परियोजनाओं की स्वीकृति जारी होने से पूर्व विस्तृत स्क्रूटनी कर ली जायेगी ।

वर्ष **2025-2026** के आय–व्ययक में व्यय की नई मांग द्वारा सम्मिलित प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

	(₹ लाख में)
क– राजस्व लेखा	**652226.85**
ख– पूंजी लेखा	**2195607.14**
कुल योग :	**2847833.99**

बर्ष 2025-2026 के आय व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदें

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)			
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
001	आबकारी विभाग	5100.00	2000.00	...	7100.00
002	आवास विभाग	...	77888.54	5900.00	83788.54
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	...	50.00	...	50.00
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	100.00	...	...	100.00
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	7201.00	316900.00	...	324101.00
009	ऊर्जा विभाग	300000.00	108687.00	...	408687.00
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	571.53	1000.00	...	1571.53
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	667.35	8000.00	...	8667.35
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	500.00	8608.74	...	9108.74
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	200.00	1470.00	...	1670.00
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	914.00	300.00	...	1214.00
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	500.00	1100.00	...	1600.00
021	खाद्य तथा रसद विभाग	...	21001.00	...	21001.00
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	...	...	69006.00	69006.00
025	गृह विभाग (कारागार)	...	181.16	...	181.16
026	गृह विभाग (पुलिस)	20318.00	10326.69	...	30644.69
028	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	15.00	3000.00	...	3015.00
029	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	50.00	...	...	50.00
030	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	55.00	...	...	55.00
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	5391.69	2502.00	...	7893.69
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	7834.20	10000.00	...	17834.20
037	नगर विकास विभाग	141732.30	...	...	141732.30
038	नागरिक उड्डयन विभाग	5000.00	...	...	5000.00
040	नियोजन विभाग	25000.00	252469.23	...	277469.23
043	परिवहन विभाग	1000.00	55000.00	...	56000.00
044	पर्यटन विभाग	100.00	16872.00	...	16972.00
045	पर्यावरण विभाग	...	19800.00	...	19800.00

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)			
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	175.00	11175.00	...	11350.00
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	18895.40	17382.00	...	36277.40
052	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	2600.00	200.00	...	2800.00
055	लोक निर्माण विभाग (भवन)	...	9535.00	...	9535.00
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	...	221975.50	...	221975.50
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	...	408106.00	...	408106.00
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	...	9353.12	...	9353.12
060	वन विभाग	91.15	4987.35	...	5078.50
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	...	352.83	...	352.83
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	592.00	1254.71	...	1846.71
067	विधान परिषद् सचिवालय	40.00	...	...	40.00
068	विधान सभा सचिवालय	25.00	1473.50	...	1498.50
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1661.08	3000.00	...	4661.08
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	...	8001.00	...	8001.00
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	...	30101.00	...	30101.00
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	99.00	340.52	...	439.52
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	42000.00	1200.00	...	43200.00
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	...	1672.46	...	1672.46
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	50.00	...	...	50.00
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	...	1.00	...	1.00
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	500.00	...	...	500.00
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	3589.37	4750.00	...	8339.37
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	3628.58	1670.00	...	5298.58
082	सतर्कता विभाग	...	3700.00	...	3700.00
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	49092.92	102718.50	...	151811.42
084	सामान्य प्रशासन विभाग	100.00	...	...	100.00
089	राज्य कर विभाग	...	750.00	...	750.00

अनुदान/क्रम संख्या	विभाग का नाम	(₹ लाख में)			
		राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग
			पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5	6
092	संस्कृति विभाग	2330.00	700.00	...	3030.00
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	150.00	1521.30	...	1671.30
094	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	4357.28	357623.99	...	361981.27
	कुलयोग	652226.85	2120701.14	74906.00	2847833.99

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
001	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	1-Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS)	5000.00
	2039-राज्य उत्पाद शुल्क	2-क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला की स्थापना	100.00
		लेखा शीर्ष 2039 का योग	5100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व हित में डिजिटल अल्कोहलोमीटर एवं प्रवर्तन कार्य हेतु हैन्ड-हेल्ड स्कैनर का क्रय	1000.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 001 का योग	7100.00
002	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद अयोध्या में नगर निगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या के संयुक्त नवीन भवन कार्यालय भवन का निर्माण	2888.54
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	2888.54
	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	2-मेरठ, मथुरा-वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाएं एवं सर्वांगीण विकास	75000.00
		लेखा शीर्ष 4217 का योग	75000.00
	6217-शहरी विकास के लिये कर्ज	3-आगरा मेट्रो रेल परियोजना	5900.00
		लेखा शीर्ष 6217 का योग	5900.00
		अनुदान संख्या 002 का योग	83788.54
003	4851-ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के कतिपय जनपदों में लेदर पार्क की स्थापना	50.00
		लेखा शीर्ष 4851 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 003 का योग	50.00
006	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1-मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना	100.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 006 का योग	100.00
007	2852-उद्योग	1-UP Defence & Aerospace Units &	1000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		Employment Promotion Policy 2018	
	2852-उद्योग	2-अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेड फेयर आदि में प्रतिभागिता	2000.00
	2852-उद्योग	3-उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति का क्रियान्वयन	1.00
	2852-उद्योग	4-ओपन गवर्नमेन्ट डाटा (ओ.जी.डी.) हेतु पी.एम.यू. का गठन	180.00
	2852-उद्योग	5-मोटो जी.पी. कार्यक्रम का आयोजन	2000.00
	2852-उद्योग	6-यूनीफाइड प्लेटफॉर्म का विकास	300.00
	2852-उद्योग	7-विदेशों में होने वाले रोड शो एवं सेमिनार आदि में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता	1500.00
	2852-उद्योग	8-साइबर सिक्योरिटी हेतु पी.एम.यू. का गठन	220.00
		लेखा शीर्ष 2852 का योग	7201.00
	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9-लखनऊ में ए.आई. सिटी का विकास	500.00
	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	10-साइबर सुरक्षा हेतु राज्य को डीपटेक हब बनाया जाना	300.00
		लेखा शीर्ष 4859 का योग	800.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नये एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) की स्थापना एवं संचालन हेतु	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का सुदृढीकरण	80000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत यातायात एवं यातायात सुरक्षा की निगरानी हेतु एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.)	1000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु रोड कनेक्टिविटी	2500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हेतु	90000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे	100000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना	14400.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	20-बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेस-वे का निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	21-बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर ई-वे हब की स्थापना	7200.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	22-विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर का निर्माण	5000.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	316100.00
		अनुदान संख्या 007 का योग	324101.00
009	2801-बिजली	1-ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक) में अनवरत विद्युत आपूर्ति	300000.00
		लेखा शीर्ष 2801 का योग	300000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-200 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	8000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III	1.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-जनपद जालौन में 500 MW क्षमता के Solar Power Plant की स्थापना	15000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास कार्य	1.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-नीलामी से प्राप्त कोल ब्लॉक का विकास	1.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-प्रदेश में संचालित विभिन्न विद्यालयों के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन/एल.टी.लाइन को हटाया जाना	10000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना	45684.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना के लिए एस.जी.एस.टी. एवं राज्य के अन्य करों का भुगतान	25000.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत परियोजना पर PSP की स्थापना	5000.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	108687.00
		अनुदान संख्या 009 का योग	408687.00
010	2401-फसल कृषि कर्म	1-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन योजना	100.00
	2401-फसल कृषि कर्म	2-कुकरी एवं बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना	62.40
	2401-फसल कृषि कर्म	3-मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना	125.63

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	288.03
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	4-क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र	183.50
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	183.50
	2851-ग्राम तथा लघु उद्योग	5-मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना	100.00
		लेखा शीर्ष 2851 का योग	100.00
	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	6-उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के अंशको में पूंजी विनियोजन	1000.00
		लेखा शीर्ष 4401 का योग	1000.00
		अनुदान संख्या 010 का योग	1571.53
011	2071-पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ	1-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविद्यालय, हरदोई के शिक्षकों / शिक्षणेत तर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान	217.35
		लेखा शीर्ष 2071 का योग	217.35
	2401-फसल कृषि कर्म	2-कृषि विभाग की स्थापना की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कृषि गौरव गाथा का आयोजन	100.00
		लेखा शीर्ष 2401 का योग	100.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	3-आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन	25.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	4-उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद्	100.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	5-चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन	25.00
	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	6-महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर	200.00
		लेखा शीर्ष 2415 का योग	350.00
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	7-कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीन संचालित महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य	2500.00
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	8-कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों तथा उ 0 प्र 0 कृषि	2500.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुसंधान परिषद का सदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना सुविधा का विकास	
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	9-कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालयों एवं उनके अन्तर्गत संचालित महाविघालयों में छात्रावासों का निर्माण	2500.00
	4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	10-कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालयों/महाविघालयों/उपकार में विभिन्न प्रकार के उपकरण	500.00
		लेखा शीर्ष 4415 का योग	8000.00
		अनुदान संख्या 011 का योग	8667.35
013	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1-ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ई-आफिस प्रणाली	500.00
		लेखा शीर्ष 2515 का योग	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना	8243.60
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य	34.12
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में भवनों का जीर्णोद्धार	331.02
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	8608.74
		अनुदान संख्या 013 का योग	9108.74
014	2204-खेल कूद तथा युवा सेवायें	1-युवा केन्द्रों का संचालन	200.00
		लेखा शीर्ष 2204 का योग	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र कार्यालय भवन का निर्माण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1000.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के महानिदेशालय परिसर में बैरक का निर्माण	470.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	470.00
		अनुदान संख्या 014 का योग	1670.00
015	2403-पशु पालन	1-उत्तर प्रदेश चारा नीति (2024-2029) के अन्तर्गत नैपियर घास की जड़े/स्ट स्लिप उपलब्ध कराने की योजना	64.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2403-पशु पालन	2-पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार	700.00
	2403-पशु पालन	3-मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु काल-सेन्टर का विस्तारीकरण	150.00
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	914.00
	4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4-आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र , बक्शी का तालाब, लखनऊ में निर्मित भवनों का सदृढ़ीकरण	300.00
		लेखा शीर्ष 4403 का योग	300.00
		अनुदान संख्या 015 का योग	1214.00
018	2425-सहकारिता	1-अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025	500.00
		लेखा शीर्ष 2425 का योग	500.00
	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	2-उत्तर प्रदेश को आपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंको मे टेक्नालॉजी एडाप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी	1000.00
	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	3-नये जिला सहकारी बैंक का गठन	100.00
		लेखा शीर्ष 4425 का योग	1100.00
		अनुदान संख्या 018 का योग	1600.00
021	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण	20000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का भवन निर्माण	1000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	21001.00
		अनुदान संख्या 021 का योग	21001.00
024	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	1-उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान	7500.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	2-किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत में नवीनतम चीनी मिल स्थापित	5000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	3-किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना मे नवीनतम तकनीक पर आधारित चीनी मिल	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	4-चीनी निगम की चीनी मिलों की क्षमता	1.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण	
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	5-चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) की स्थापना वं जीर्णोद्धार	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	6-छाता (मथुरा) की चीनी मिल की स्थापना	5000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	7-बन्द चीनी निगम के पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लान्ट तथा आसवानी की स्थापना	9000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	8-रुद्र बिलास सहकारी चीनी मिल की कार्यक्षमता में सुधार	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	9-रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकायों के भुगतान	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	10-सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना	1.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	11-सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान	40000.00
	6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	12-सहकारी चीनी मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता	2500.00
		लेखा शीर्ष 6860 का योग	69006.00
		अनुदान संख्या 024 का योग	69006.00
025	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के 06 कारागारों में ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था	88.36
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-विभिन्न जनपदों के कारागारों में मोटर गाड़ियों का क्रय	92.80
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	181.16
		अनुदान संख्या 025 का योग	181.16
026	2055-पुलिस	1-उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन्सिक साइंसेज हेतु वाहनों का क्रय	318.00
	2055-पुलिस	2-पुलिस विभाग के बहुमंजिला भवनों का अनुरक्षण	20000.00
		लेखा शीर्ष 2055 का योग	20318.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	3-03 महिला पी.ए.सी. वाहिनियों में वाहनों का क्रय	2076.69
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4-जी.आर.पी.(राजकीय रेलवे पुलिस) हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय	25.00
	4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	5-पुलिस विभाग के सरकारी/अर्ध सरकारी भवनों में	2000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		सोलर रूफ टॉप की स्थापना	
		लेखा शीर्ष 4055 का योग	4101.69
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-विभिन्न शहरों/मंडलों में फायर सर्विस हेतु वाहनों का क्रय	6225.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	6225.00
		अनुदान संख्या 026 का योग	30644.69
028	2014-न्याय प्रशासन	1-अभियोजन विभाग के गुप्त सेवा व्यय	15.00
		लेखा शीर्ष 2014 का योग	15.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अभियोजन विभाग के विभिन्न जनपदों के कार्यालय भवन का नवनिर्माण	3000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	3000.00
		अनुदान संख्या 028 का योग	3015.00
029	2012-राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	1-श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि	50.00
		लेखा शीर्ष 2012 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 029 का योग	50.00
030	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	1-मुख्य सचिव के अभिसूचना स्रोतों का विकास	5.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	5.00
	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	2-मुख्यमंत्री के अभिसूचना संकलन हेतु	50.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 030 का योग	55.00
031	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना	2291.69
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन	400.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-जनपद बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना	2500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना	200.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	5391.69

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन	2.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना	2500.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	2502.00
		अनुदान संख्या 031 का योग	7893.69
032	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	1-उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन	334.20
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2-प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का HOPE-2 माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाना	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3-प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित किये गये विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक तकनीक के पैथालॉजिकल उपकरणों का संचालन	2500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4-प्रदेश में टेलीमेडिसिन / टेलीकंसल्टेशन सेवा	500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5-हेल्थ ए.टी.एम. / कियॉस्क मशीन की स्थापना के लिये एकीकृत कमाण्ड नियंत्रण केन्द्र	2500.00
	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	6-हेल्थ फैसिलिटी का पी.पी.पी. मोड पर संचालन	1500.00
		लेखा शीर्ष 2210 का योग	7834.20
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय भवन का निर्माण	10000.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	10000.00
		अनुदान संख्या 032 का योग	17834.20
037	2217-शहरी विकास	1-नवसृजित/सृजित होने वाले नगर निगमों में सड़कों का पुनरूद्धार/नवीनीकरण/विस्तारीकरण	5000.00
	2217-शहरी विकास	2-प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाना	14500.00
	2217-शहरी विकास	3-प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी- 2.0	121232.30
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	140732.30
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4-अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना	1000.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	1000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		अनुदान संख्या 037 का योग	141732.30
038	3053-नागर विमानन	1-वायुयानों के मेंटीनेन्स, रिपेयर तथा ओवरहॉल हेतु नीति, 2022	5000.00
		लेखा शीर्ष 3053 का योग	5000.00
		अनुदान संख्या 038 का योग	5000.00
040	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान	22500.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	22500.00
	3454-जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	2-जनपद की डी.डी.पी (District Domestic Product) के बेहतर आंकलन हेतु सर्वेक्षण	2500.00
		लेखा शीर्ष 3454 का योग	2500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान	2500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-त्वरित आर्थिक विकास योजना	15500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	18000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-त्वरित आर्थिक विकास योजना	15.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	15.00
	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-त्वरित आर्थिक विकास योजना	10.00
		लेखा शीर्ष 4210 का योग	10.00
	4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	7-त्वरित आर्थिक विकास योजना	15005.00
		लेखा शीर्ष 4215 का योग	15005.00
	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	5.00
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	9-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	5.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	10-क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वान्चल)	45000.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत	11-क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)	35000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय		
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	80000.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	12-त्वरित आर्थिक विकास योजना	5.00
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	5.00
	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-त्वरित आर्थिक विकास योजना	14455.00
		लेखा शीर्ष 4801 का योग	14455.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-त्वरित आर्थिक विकास योजना	124950.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	124950.00
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के लिए एक नये वाहन का क्रय	19.23
		लेखा शीर्ष 5475 का योग	19.23
		अनुदान संख्या 040 का योग	277469.23
043	3055-सड़क परिवहन	1-विभागीय पोर्टल्स को ए.आई. आधारित डैशबोर्ड से जोड़ा जाना	1000.00
		लेखा शीर्ष 3055 का योग	1000.00
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2-इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन का निर्माण	5000.00
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	3-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई इलेक्ट्रिक बसों का क्रय	40000.00
	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	4-मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना	10000.00
		लेखा शीर्ष 5055 का योग	55000.00
		अनुदान संख्या 043 का योग	56000.00
044	3452-पर्यटन	1-पर्यटन सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण	100.00
		लेखा शीर्ष 3452 का योग	100.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	2-उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन का विकास	500.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	3-उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् द्वारा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास	5000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	4-जैन सर्किट स्थलों का पर्यटन विकास	100.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5-पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन	272.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		2.0 स्कीम	
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	6-प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर वे-साइड-ऐमिनिटी का निर्माण	10000.00
	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	7-विदुर कुटी एवं महाभारत सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास	1000.00
		लेखा शीर्ष 5452 का योग	16872.00
		अनुदान संख्या 044 का योग	16972.00
045	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट	19800.00
		लेखा शीर्ष 5425 का योग	19800.00
		अनुदान संख्या 045 का योग	19800.00
047	2203-तकनीकी शिक्षा	1-अनुदानित प्राविधिक विश्विद्यालयों / संस्थानों / इंजीनियरिंग कॉलेजों को सहायता	100.00
	2203-तकनीकी शिक्षा	2-प्राविधिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक कार्यालय का संचालन	75.00
		लेखा शीर्ष 2203 का योग	175.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण	75.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेंस सेन्टर	10000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	5-राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास-रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण आदि	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ए.आई. फॉर एजुकेशन	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	11175.00
		अनुदान संख्या 047 का योग	11350.00
049	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1-अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार हेतु टॉपअप की व्यवस्था	16990.12
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-नारी अदालत योजना का संचालन	244.48
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में भोजन मद में टॉपअप की व्यवस्था	792.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4-शक्ति सदनों का संचालन	513.90
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5-शक्ति सदनों की स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय	100.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6-सखी निवास का संचालन	154.90
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	7-सखी निवासों की स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय	100.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	18895.40
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8-कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास का निर्माण	382.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9-मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण	17000.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	17382.00
		अनुदान संख्या 049 का योग	36277.40
052	2029-भू-राजस्व	1- राजस्व कर्मियों हेतु टैबलेट का क्रय	2400.00
	2029-भू-राजस्व	2-साफ्टवेयर एवं पोर्टल का निर्माणकार्य	200.00
		लेखा शीर्ष 2029 का योग	2600.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की स्थापना	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावासों का नवनिर्माण	100.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	200.00
		अनुदान संख्या 052 का योग	2800.00
055	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण	200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण	650.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग	80.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-कार्यालय भवनों का निर्माण	500.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	6-निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार	4000.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरूद्धार	400.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य	425.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	9-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10-शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन	1.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	11-शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	1900.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	12-सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना	368.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	8625.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	13-आवासीय भवनों का निर्माण	600.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	14-पूल्ड आवासों का निर्माण	200.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	15-राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य	110.00
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	910.00
		अनुदान संख्या 055 का योग	9535.00
057	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	35456.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद प्रयागराज में गंगा जी पर नये पुल का निर्माण	23637.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नये पुल का निर्माण	31516.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-नये रेल कम रोड सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण	25000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण	39395.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण	11818.50
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)	55153.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	221975.50
		अनुदान संख्या 057 का योग	221975.50
058	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	60000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	1000.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रूपये लाख में)
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / निर्माण के नये कार्य	40000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुडे ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान	100.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-तहसील / ब्लाक मुखयालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-धर्माथ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य)	70000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था	7500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	78790.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	7500.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-मुख्य मंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	14-मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय	4000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	15-राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण	15000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	16-राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढ़ीकरण और निर्माण	5000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	17-राज्य राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण	31516.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18-शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण	40000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	19-सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन	2500.00
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	408106.00
		अनुदान संख्या 058 का योग	408106.00
059	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-अतिथिगृहों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	50.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-अनावासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	100.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-नई दिल्ली / नोएडा में नये अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि का क्रय एवं निर्माण कार्य	7500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	7650.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4-आवासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना	50.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	5-नये आवासीय बहुखण्डीय भवन का निर्माण	1.00
	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	6-नये बहुखण्डीय भवन का निर्माण	1652.12
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	1703.12
		अनुदान संख्या 059 का योग	9353.12
060	2202-सामान्य शिक्षा	1-जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना	90.15
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	90.15
	2406-वानिकी तथा वन्य जीव	2-पंचतन्त्र वन में कहानियों का निर्माण एवं संयोजन	1.00
		लेखा शीर्ष 2406 का योग	1.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना	4909.35
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	4909.35
	4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	4-पंचतन्त्र वन में कहानियों का निर्माण एवं संयोजन	78.00
		लेखा शीर्ष 4406 का योग	78.00
		अनुदान संख्या 060 का योग	5078.50
063	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निर्माण कार्य	190.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सोलर रूफ टॉफ संयंत्र	122.40
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	312.40
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3-कोषागार निदेशालय एवं साइबर ट्रेजरी हेतु वाहन का क्रय	29.43
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत	4-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर	11.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	परिव्यय	प्रदेश, लखनऊ में नये वाहन का क्रय	
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	40.43
		अनुदान संख्या 063 का योग	352.83
065	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	1-अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 का क्रियान्वयन`	592.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	592.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय में भूमिगत पार्किंग तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य	394.71
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, के अधीनस्थ कार्यालय हेतु शासकीय भवन का निर्माण	800.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1194.71
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4-आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय, लखनऊ में वाहन का क्रय	20.00
	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5-निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ हेतु नए वाहन का क्रय`	20.00
		लेखा शीर्ष 4070 का योग	40.00
	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय हेतु	20.00
		लेखा शीर्ष 5475 का योग	20.00
		अनुदान संख्या 065 का योग	1846.71
067	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-माननीय सभापति, विधान परिषद् के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि	40.00
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	40.00
		अनुदान संख्या 067 का योग	40.00
068	2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1-माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि	25.00
		लेखा शीर्ष 2011 का योग	25.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-ई-साइन कार्ड सॉल्यूशन्स (डिजिटल डिस्प्ले यूनिट) की स्थापना	148.50
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	3-डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और विडियो कॉल्स के विस्तार सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना	555.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4-विधान सभा कार्यालय कक्षों हेतु स्थापित वातानुकूलन संयंत्र मरम्मत/बदलाव	293.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5-विधान सभा मंडप के समस्त प्रवेश द्वारों पर ए.आई. (AI) कैमरा की स्थापना	477.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	1473.50
		अनुदान संख्या 068 का योग	1498.50
069	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-एमबीपीएस डेडीकेटेड लीजलाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना	660.08
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2-ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना	500.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	3-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन एवं स्पोक्स एण्ड हब मॉडल के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कौशल वृद्धि की योजना	1.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	4-नवयुवकों के लिए राज्य-स्तरीय इन्टर्नशिप योजना	100.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	5-मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना	300.00
	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	6-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवयुवकों को प्रशिक्षित कर सेवायोजित करना	100.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	1661.08
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	7-प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के भवन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	300.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	8-मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना	2700.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	3000.00
		अनुदान संख्या 069 का योग	4661.08
070	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	1-जनपद आगरा में साइंस सिटी की स्थापना	2500.00
	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	2-जनपद वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना	500.00
	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	3-प्रदेश में विज्ञान पार्क / साइंस सिटी / नक्षत्रशालाओं की स्थापना	5001.00
		लेखा शीर्ष 5425 का योग	8001.00
		अनुदान संख्या 070 का योग	8001.00
071	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु निर्माण	100.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-शिक्षा विभाग हेतु एकीकृत नवीन कार्यालय भवन का निर्माण	1.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	3-समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाना	30000.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	30101.00
		अनुदान संख्या 071 का योग	30101.00
072	2202-सामान्य शिक्षा	1-उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्	99.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	99.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद	340.52
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	340.52
		अनुदान संख्या 072 का योग	439.52
073	2202-सामान्य शिक्षा	1-उ.प्र. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024	1000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	2-प्रदेश के छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन हेतु 'The Chevening Uttar Pradesh Government Scholarship' कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ति	200.00
	2202-सामान्य शिक्षा	3-प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना	500.00
	2202-सामान्य शिक्षा	4-भारतीय भाषा पुस्तक योजना का क्रियान्वयन	100.00
	2202-सामान्य शिक्षा	5-रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनान्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी	40000.00
	2202-सामान्य शिक्षा	6-संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थियों को छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन राशि	200.00
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	42000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निर्माणाधीन महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में	1200.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1200.00
		अनुदान संख्या 073 का योग	43200.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
075	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	1-कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.आई.) लखनऊ का सुदृढ़ीकरण	1000.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	2-राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु	672.46
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	1672.46
		अनुदान संख्या 075 का योग	1672.46
076	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	1-अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन	50.00
		लेखा शीर्ष 2230 का योग	50.00
		अनुदान संख्या 076 का योग	50.00
077	4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1-सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों का निर्माण	1.00
		लेखा शीर्ष 4250 का योग	1.00
		अनुदान संख्या 077 का योग	1.00
078	2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें	1-उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम	500.00
		लेखा शीर्ष 2052 का योग	500.00
		अनुदान संख्या 078 का योग	500.00
079	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1-अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार	100.00
		लेखा शीर्ष 2225 का योग	100.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2-अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, मोहान रोड, लखनऊ में दिव्यांग हितैषी पाठ्यक्रमों का संचालन	74.37
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	3-दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु संस्थाओं को सहायता	2000.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4-दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवाकालीन प्रशिक्षण	50.00
	2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	5-बचपन डे केयर सेन्टर्स का नवीन संचालन	1365.00
		लेखा शीर्ष 2235 का योग	3489.37
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	6-जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में निर्माण	1000.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	7-नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण	2250.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	8-बचपन डे केयर सेन्टर्स का भवन निर्माण	1000.00
	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	9-बाधारहित खेल सुविधाओं की स्थापना एवं विकास	500.00
		लेखा शीर्ष 4235 का योग	4750.00
		अनुदान संख्या 079 का योग	8339.37
081	2202-सामान्य शिक्षा	1-प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	130.28
		लेखा शीर्ष 2202 का योग	130.28
	2217-शहरी विकास	2-प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-2.0	3463.78
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	3463.78
	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3-प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	34.52
		लेखा शीर्ष 2225 का योग	34.52
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4-प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	825.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	825.00
	4225-अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	5-प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान	845.00
		लेखा शीर्ष 4225 का योग	845.00
		अनुदान संख्या 081 का योग	5298.58
082	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	1-उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर कानपुर व झाँसी में कार्यालय भवन	1200.00
	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2-उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर – बरेली, प्रयागराज, वाराणसी व अयोध्या में कार्यालय भवन का निर्माण	2500.00
		लेखा शीर्ष 4059 का योग	3700.00
		अनुदान संख्या 082 का योग	3700.00
083	2217-शहरी विकास	1-प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास	48492.92

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		(शहरी) मिशन-2.0	
		लेखा शीर्ष 2217 का योग	48492.92
	2403-पशु पालन	2-बकरी पालन की योजना	300.00
	2403-पशु पालन	3-सूकर पालन की योजना	300.00
		लेखा शीर्ष 2403 का योग	600.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	4-क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)	12500.00
	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	5-क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)	7500.00
		लेखा शीर्ष 4575 का योग	20000.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण	14847.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	7-ग्रामीण सेतुओं का निर्माण	9544.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	8-जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल का निर्माण	8484.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	9-जनपद प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा जी पर नये पुल का निर्माण	6363.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	10-प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण	21210.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	11-राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण	8484.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	12-रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	10605.00
	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	13-शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)	3181.50
		लेखा शीर्ष 5054 का योग	82718.50
		अनुदान संख्या 083 का योग	151811.42
084	2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें	1-विशिष्ट महानुभावों/विदेशी अतिथियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएँ	100.00
		लेखा शीर्ष 2070 का योग	100.00
		अनुदान संख्या 084 का योग	100.00
089	4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	1-प्रदेश के जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	750.00

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
		लेखा शीर्ष 4216 का योग	750.00
		अनुदान संख्या 089 का योग	750.00
092	2205-कला एवं संस्कृति	1-अभिलेखों का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	2-गुरू स्वामी हरिदास जी की स्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	3-जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में नवनिर्मित थारू संस्कृति संग्रहालय का प्रबन्धन	100.00
	2205-कला एवं संस्कृति	4-निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर	30.00
	2205-कला एवं संस्कृति	5-विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन	2000.00
		लेखा शीर्ष 2205 का योग	2330.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	6-उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार के अन्तर्गत भवनों का निर्माण	500.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	7-जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, अयोध्या	100.00
	4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	8-भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के नवीन परिसर का निर्माण	100.00
		लेखा शीर्ष 4202 का योग	700.00
		अनुदान संख्या 092 का योग	3030.00
093	2702-लघु सिंचाई	1-डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना अंतर्गत अनुरक्षण कार्य	150.00
		लेखा शीर्ष 2702 का योग	150.00
	4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2-इण्डिया-इजराइल बुन देलखण ड वाटर प्रोजेक्ट योजना	1521.30
		लेखा शीर्ष 4702 का योग	1521.30
		अनुदान संख्या 093 का योग	1671.30
094	2700-मुख्य सिंचाई	1-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	1643.39
		लेखा शीर्ष 2700 का योग	1643.39
	2701-मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	2-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	298.34
		लेखा शीर्ष 2701 का योग	298.34

वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में सम्मिलित व्यय की नई मदों की अनुदानवार-सूची

अनुदान /क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	मद का नाम	धनराशि (रुपये लाख में)
	2711-बाढ नियत्रण तथा जल निकास	3-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	2415.55
		लेखा शीर्ष 2711 का योग	2415.55
	4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4-मुख्य सिंचाई की परियोजनायें	244811.89
		लेखा शीर्ष 4700 का योग	244811.89
	4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5-मध्यम सिंचाई की परियोजनायें	25034.23
		लेखा शीर्ष 4701 का योग	25034.23
	4711-बाढ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6-बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें	87777.87
		लेखा शीर्ष 4711 का योग	87777.87
		अनुदान संख्या 094 का योग	361981.27

अनुदान संख्या 001

आबकारी विभाग

Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS)

Integrated Excise Supply Chain Management System (IESCMS) परियोजना के सिस्टम इन्टीग्रेटर को फुटकर दुकानों से प्रति बोतल स्कैनिंग के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2039- राज्य उत्पाद शुल्क
001- निदेशन तथा प्रशासन
06- कम्प्यूटरीकरण एवं आन लाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 5000.00

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला की स्थापना

02 क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालों की स्थापना के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2039- राज्य उत्पाद शुल्क
800- अन्य व्यय
03- क्षेत्रीय प्रयोगशाला
42-अन्य व्यय 100.00

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशाला की स्थापना

02 क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए पूँजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं राजस्व हित में डिजिटल अल्कोहलोमीटर एवं प्रवर्तन कार्य हेतु हैन्ड-हेल्ड स्कैनर का क्रय

जनपद आसवनियों एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में एन.ए.बी.एल. द्वारा मानकीकृत डिजिटल एल्कोहलोमीटर के क्रय एवं सीमावर्ती राज्यों में अवैध मदिरा के पारेषणों की चेकिंग, रोकथाम तथा प्रवर्तन कार्य हेतु हैन्ड-हेल्ड स्कैनर के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

04- प्रवर्तन कार्य हेतु डिजिटल एल्कोहल मीटर एवं हैन्ड-हेल्ड स्कैनर

26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

जनपद अयोध्या में नगर निगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या के संयुक्त नवीन भवन कार्यालय भवन का निर्माण

जनपद अयोध्या में प्रस्तावित विकास कार्यों को त्वरित गति से कराये जाने एवं समन्वय स्थापित किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या के संयुक्त नवीन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2888.54 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2888.54 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- जनपद अयोध्या में नगर निगम, अयोध्या एवं विकास प्राधिकरण, अयोध्या के संयुक्त नवीन कार्यालय भवन का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2888.54

मेरठ, मथुरा-वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाएं एवं सर्वांगीण विकास

मेरठ, मथुरा-वृंदावन एवं कानपुर विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत जनसामान्य को अवस्थापना सुविधाएं प्रदान किये जाने एवं विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 750.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 750.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य शहरी विकास योजनायें
800- अन्य व्यय
07- लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्रधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 75000.00

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 59.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 59.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज
60- अन्य शहरी विकास योजनाएं
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश
04- आगरा मेट्रो रेल परियोजना
0404- आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु प्राप्त वाह्य ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु
30-निवेश/ऋण 5900.00

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

प्रदेश के कतिपय जनपदों में लेदर पार्क की स्थापना

फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में फोकस उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के कतिपय जनपदों में लेदर पार्क की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4851- ग्राम एवं लघु उद्योग़ो पर पूँजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
01- केन्द्र प्रोयोजित योजनाएं
0101- फुटवेयर एवं लेदर विकास योजना (के.100/रा.00-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 50.00

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना

मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी से राज्य सरकार की उपलब्ध भूमि पर वस्त्र एवं परिधान पार्क स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	
102- लघु उद्योग	
05- मुख्यमंत्री वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

ओपन गवर्नमेन्ट डाटा (ओ.जी.डी.) हेतु पी.एम.यू. का गठन

प्रदेश सरकार के विभागों में डाटा प्रबन्धन को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के दृष्टिगत ओपन गवर्नमेन्ट डाटा (ओ.जी.डी.) के लिये पी.एम.यू. के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 180.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 180.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
22- ओपन गवर्नमेंट डाटा (ओ.जी.डी.) हेतु पी.एम.यू. का गठन
42-अन्य व्यय 180.00

साइबर सिक्योरिटी हेतु पी.एम.यू. का गठन

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बढती निर्भरता एवं साइबर थ्रेट्स की चुनौतियों के दृष्टिगत प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी के लिये पी.एम.यू. का गठन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 220.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 220.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
23- साइबर सिक्योरिटी हेतु पी.एम.यू. का गठन
42-अन्य व्यय 220.00

यूनीफाइड प्लेटफॉर्म का विकास

प्रदेश के शासकीय विभागों की विभिन्न मैनुअल पद्धति को ऑनलाइन मोड में करने हेतु यूनीफाइड प्लेटफॉर्म का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
07- दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग
202- इलेक्ट्रानिक्स
24- प्रदेश के शासकीय विभागों की विभिन्न मैनुअल पधति को ऑनलाइन मोड में करने हेतु यूनीफाइड प्लेटफॉर्म का विकास
42-अन्य व्यय 300.00

UP Defence & Aerospace Units & Employment Promotion Policy 2018

डिफेन्स कॉरिडोर में UP Defence & Aerospace Units & Employment Promotion Policy 2018 के अन्तर्गत निवेशकों को दी जाने वाली Backend Capital Subsidy हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
104- औद्योगिक प्रोत्साहन
03- यू.पी. डिफेन्स एण्ड ऐरोस्पेस यूनिट एण्ड इम्प्लॉयमेन्ट प्रमोशन पॉलिसी-2018
27-सब्सिडी 1000.00

उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति का क्रियान्वयन

औद्योगिक निवेश एवं युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
104- औद्योगिक प्रोत्साहन
04- उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केन्द्र नीति का क्रियान्वयन
42-अन्य व्यय 1.00

विदेशों में होने वाले रोड शो एवं सेमिनार आदि में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता

प्रदेश में विदेशी पूंजी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशों में होने वाले रोड शो एवं सेमिनार आदि में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
35- प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु विदेशों में होने वाले रोड शो एवं सेमिनार आदि में प्रचार-प्रसार आदि से सम्बन्धित व्यय
42-अन्य व्यय 1500.00

अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेड फेयर आदि में प्रतिभागिता

प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो/ट्रेड फेयर आदि में प्रतिभागिता हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
36- प्रदेश में पूंजी निवेश हेतु देश में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड शो / ट्रेडफेयर आदि में प्रतिभागिता हेतु
42-अन्य व्यय 2000.00

मोटो जी.पी. कार्यक्रम का आयोजन

मोटो जी.पी. कार्यक्रम के आयोजन में इन्वेस्ट यू.पी. तथा यीडा, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा राज्य के औद्योगिक प्रोफाइल का उन्नयन, ब्रान्डिंग तथा निवेश आकर्षित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2852- उद्योग
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
37- मोटो जी.पी. कार्यक्रम का आयोजन
42-अन्य व्यय 2000.00

लखनऊ में ए.आई. सिटी का विकास

लखनऊ में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स (ए.आई.) सिटी के विकास के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
02- इलेक्ट्रानिक
800- अन्य निवेश
04- लखनऊ में ए.आई. सिटी का विकास
60-भूमि क्रय 500.00

साइबर सुरक्षा हेतु राज्य को डीपटेक हब बनाया जाना

साइबर सुरक्षा में राज्य को डीपटेक हब बनाये जाने के लिए Technology Research Translation Park की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4859- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
02- इलेक्ट्रानिक
800- अन्य निवेश
06- साइबर सुरक्षा हेतु राज्य को डीपटेक हब बनाये जाने हेतु
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
19- जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क एक्सप्रेस-वे तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे
24-वृहत् निर्माण कार्य 100000.00

बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर ई-वे हब की स्थापना

बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर जन सुविधा परिसरों के निर्माण के लिए ई-वे हब की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 72.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 72.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
20- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर ई-वे हब की स्थापना का कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 7200.00

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ई-वे हब की स्थापना

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जन सुविधा परिसरों के निर्माण के लिये ई-वे हब की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 144.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 144.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
21- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ई-वे हब की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 14400.00

आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का सुदृढ़ीकरण

आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 800.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 800.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
22- आगरा से लखनऊ तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 80000.00

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हेतु

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (चैनेज 133+800) से गंगा एक्सप्रेसवे (चैनेज 282+845) कौसिया जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 900.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 900.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
23- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे
24-वृहत् निर्माण कार्य 31640.00
60-भूमि क्रय 58360.00
योग - 90000.00

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत यातायात एवं यातायात सुरक्षा की निगरानी हेतु एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.)

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत यातायात एवं यातायात सुरक्षा की निगरानी हेतु एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) के कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये

10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
24- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के अन्तर्गत यातायात एवं यातायात सुरक्षा की निगरानी हेतु एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस) स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर नये एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) की स्थापना एवं संचालन हेतु

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यातायात सुरक्षा एवं सुगम यातायात संचालन के दृष्टिगत नये एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) की स्थापना एवं संचालन कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
25- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर नये एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम (ए.टी.एम.एस.) की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे का निर्माण

गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
26- गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुये सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण
60-भूमि क्रय 5000.00

गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण

मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
27- मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण
60-भूमि क्रय 5000.00

विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर का निर्माण

विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर जनपद सोनभद्र से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
28- विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र जनपद से प्रारम्भ होकर चन्दौली, गाजीपुर होते हुये (विन्ध्य एक्सप्रेस-वे-पूर्वांचल लिंक स्पर) का निर्माण
60-भूमि क्रय 5000.00

बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेस-वे का निर्माण

प्रदेश सरकार द्वारा विश्व स्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के उद्देश्य से बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
29- बुन्देलखण्ड-रीवा (एन.एच.-30 लिंक) एक्सप्रेस-वे का निर्माण
60-भूमि क्रय 5000.00

ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु रोड कनेक्टिविटी

ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों को रोड कनेक्टिविटी आदि से सम्बन्धित व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
03- ग्रामीण क्षेत्र एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों हेतु रोड कनेक्टिविटी
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक) में अनवरत विद्युत आपूर्ति

ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल 2025 से सितम्बर, 2025 तक) में प्रदेश में सायंकाल से लेकर प्रात:काल तक निर्बाध/अनवरत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 3000.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 3000.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2801- बिजली
05- संचरण एवं वितरण
800- अन्य व्यय
21- ग्रीष्मकाल (माह अप्रैल, 2025 से सितम्बर, 2025 तक) में प्रदेश में सायंकाल से लेकर प्रातःकाल तक अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु
27-सब्सिडी 300000.00

नीलामी से प्राप्त कोल ब्लॉक का विकास

नीलामी से प्राप्त कोल ब्लॉक के विकास के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1435- नीलामी से प्राप्त कोल ब्लॉक के विकास हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 1.00

रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत परियोजना पर PSP की स्थापना

रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत परियोजना पर PSP(Pump Storage Power Project) की स्थापना के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1436- रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत परियोजना पर PSP (Pump Storage Power Project) की स्थापना हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 5000.00

जनपद जालौन में 500 MW क्षमता के Solar Power Plant की स्थापना

CIL (Coal India Limited) तथा UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा जनपद जालौन में 500 MW क्षमता का Solar Power Plant की स्थापना के लिए UPRVUNL को अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1437- CIL (Coal India Limited) तथा UPRVUNL के द्वारा Joint Venture के आधार पर जनपद जालौन में 500 MW क्षमता का Solar Power Plant की स्थापना हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 15000.00

---

200 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. तथा UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा तहसील गरौठा जनपद झाँसी में 200 M.W. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए UPRVUNL को अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 80.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1438- एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. के साथ संयुक्त उपक्रम में 200 मे.वा. सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 8000.00

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास कार्य

उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा स्वयं/संयुक्त रूप में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
02- ताप विद्युत शक्ति उत्पादन
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
1439- उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. द्वारा स्वयं / संयुक्त रूप में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 1.00

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजनान्तर्गत प्रस्तावित हाउसहोल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन एवं फीडर सेग्रीगेशन के कार्यों के लिए अंशपूंजी (केन्द्रांश एवं राज्यांश) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 456.84 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 456.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
23- आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत हाउसहोल्ड इलेक्ट्रीफिकेशन एवं फीडर सिग्रीगेशन के कार्य हेतु अंशपूंजी (केन्द्रांश एवं राज्यांश)
30-निवेश/ऋण 45684.00

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना के लिए एस.जी.एस.टी. एवं राज्य के अन्य करों का भुगतान

रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आर.डी.एस.एस.) योजना के अन्तर्गत आधारभूत संरचना के कार्यों हेतु पूर्व की केन्द्र सहायतित योजनाओं की भांति एस.जी.एस.टी. एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रुपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
25- प्रदेश में संचालित रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कार्यों यथा हॉनियों में कमी के कार्य, आई.टी./ओ.टी के कार्य तथा आर्मर्ड केबल के कार्य हेतु एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति
30-निवेश/ऋण 25000.00

प्रदेश में संचालित विभिन्न विद्यालयों के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन/एल.टी.लाइन को हटाया जाना

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन/एल.टी. लाइन को हटाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रुपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रुपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
26- प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, माध्मिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन/एल.टी लाइन को हटाये जाने हेतु
30-निवेश/ऋण 10000.00

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के लिये अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
05- संचरण तथा वितरण
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
28- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-III केअन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु अंशपूंजी
30-निवेश/ऋण 1.00

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)

उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन योजना

औद्यानिक उपज / उत्पाद के निर्यात को बढावा देने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें
03- नर्सरी
0303- उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिकी निर्यात प्रोत्साहन की योजना

42-अन्य व्यय	3.10
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	18.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	76.30
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.60
योग -	100.00

मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना

प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु न्याय पंचायत/विकास खण्ड स्तर पर प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर प्रशिक्षार्थियों का चयन कर 02 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 125.63 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 125.63 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें
04- फल
0402- मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	125.63

कुकरी एवं बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना

कुकरी एवं बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत 18 मण्डलीय मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को एक माह का कुकरी (पाककला) / बेकरी का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 62.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 62.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
800- अन्य व्यय
03- कुकरी एंव बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम

44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	62.40

क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र

क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केन्द्र, लखनऊ को स्वावलम्बी बनाये जाने, पूर्ण क्षमता से क्रियाशील किये जाने व आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 183.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 183.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
004- अनुसंधान
05- क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्वलेषण केन्द्र
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 183.50

मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना

मुख्यमंत्री रेशम विकास योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष 1000 एकड़ में शहतूत वृक्षारोपण कराते हुए 1500 लाभार्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रेशम धागे के अतिरिक्त उत्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग
107- रेशम उत्पादन उद्योग
05- मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना

02-मजदूरी	3.81
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.84
27-सब्सिडी	47.63
42-अन्य व्यय	26.01
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1.90
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	19.81
योग -	100.00

उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के अंशको में पूंजी विनियोजन

उत्तर प्रदेश राज्य के औद्यानिक कृषकों के हितार्थ उ.प्र. राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) को सुदृढता प्रदान करने के लिए अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
03- उ.प्र. राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के अंशकों में पूंजी विनियोजन
30-निवेश/ऋण 1000.00

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविघालय, हरदोई के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय,कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविघालय, हरदोई के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन के नियोक्ता अंशदान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 217.35 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 217.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ
01- सिविल
117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान
03- राज्य सरकार का अंशदान
0311- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालय, कानपुर से सम्बद्ध राजकीय कृषि महाविघालय, हरदोई के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता अंशदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 217.35

कृषि विभाग की स्थापना की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कृषि गौरव गाथा का आयोजन

कृषि विभाग की स्थापना की 150 वीं वर्षगांठ पर प्रदेश में विगत 150 वर्षों के इतिहास में कृषि, तकनीकी उन्नत कृषि प्रक्रियाओं की जानकारी को न्याय पंचायत स्तर, विकासखण्ड स्तर एवं जनपद स्तर पर कृषि उत्सव, लोक कलाओ आदि के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले कार्मिकों एवं वैज्ञानिको को पुरस्कृत किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2401- फसल कृषि कर्म
001- निदेशन तथा प्रशासन
03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान
42-अन्य व्यय 70.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 30.00
योग - 100.00

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
120- अन्य संस्थाओं को सहायता
04- उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 25.00

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, अयोध्या के स्वर्ण जयंती समारोह मे विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
120- अन्य संस्थाओं को सहायता
05- उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या को सहायक अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 25.00

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद्

उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को बढ़ावा के दृष्टिगत विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
120- अन्य संस्थाओं को सहायता
06- उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर

जनपद कुशीनगर में स्थापित किये जा रहे महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आगामी शैक्षणिक सत्र संचालन की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
80- सामान्य
120- अन्य संस्थाओं को सहायता
34- महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 200.00

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण

प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों में छात्र तथा छात्राओं के छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
277- शिक्षा
06- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों तथा उ **0** प्र **0** कृषि अनुसंधान परिषद का सदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना सुविधा का विकास

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों उनके अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों तथा उ 0 प्र 0 कृषि अनुसंधान परिषद का सदृढ़ीकरण एवं अवस्थापना सुविधा का विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
277- शिक्षा
07- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद् का सुदृढ़ीकरण एवं अवस्थापनाओं, सुविधाओं का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

---

331 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीन संचालित महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य

प्रदेश मे कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीन कृषि महाविद्यालयों में विभिन्न प्रकार के भवन स्मार्ट क्लास, आडिटोरियम प्रयोगशाला एवं आवासीय परिसर आदि के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
277- शिक्षा
08- कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालयों में विभिन्न कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालयों/महाविघालयों/उपकार में विभिन्न प्रकार के उपकरण

कृषि एवं प्रौघोगिकी विश्वविघालयों तथा उनके अधीन संचालित महाविघालयों एवं उपकार में फर्नीचर साज सज्जा उपकरण, संयत्र एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
277- शिक्षा
09- कृषि विश्वविघालयों/महाविघालयों/उपकार में उपकरणों/साज-सज्जा आदि
42-अन्य व्यय 500.00

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में ई-आफिस प्रणाली

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के समस्त कार्यालयों को ई-आफिस प्रणाली के माध्यम से पेपरलेस आफिस में परिवर्तित कर शासकीय कार्य क्षमता में सुधार के उद्देश्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
800- अन्य व्यय
03- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
08-कार्यालय व्यय 500.00

जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना

जनपद बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, आजमगढ़ एवं चंदौली में जिला ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 8243.60 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 8243.60 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
08- जिला ग्राम्य विकास संस्थान
24-वृहत् निर्माण कार्य 8243.60

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में आवासीय एवं अनावासीय भवनों में जल की पर्याप्त उपलब्धता के लिए 100 कि.ली. आर.सी.सी ओवर हेड टैंक के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 34.12 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 34.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
04- दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ
24-वृहत् निर्माण कार्य 34.12

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान के परिसर में भवनों का जीर्णोद्धार

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने जर्जर 31 आवासीय भवन तथा लगभग 40 वर्ष पुराने जर्जर पुस्तकालय भवन के जीर्णोधार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 331.02 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 331.02 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

04- दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ

24-वृहत् निर्माण कार्य 331.02

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

युवा केन्द्रों का संचालन

युवाओं के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संवर्द्धन के लिए विकास खण्ड स्तर पर युवा केन्द्रों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2204-	खेल कूद तथा युवा सेवायें	
103-	गैर विद्यार्थियो के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	
03-	युवा केन्द्रों का संचालन	
42-	अन्य व्यय	200.00

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र कार्यालय भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित व्यापक क्षेत्र होने एवं निर्वाचन का कार्य वृहद स्वरूप का होने के दृष्टिगत आयोग के अपने कार्यालय के निर्माण भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
01-	कार्यालय भवन		
051-	निर्माण		
03-	राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का निर्माण		
24-	वृहत् निर्माण कार्य		500.00
60-	भूमि क्रय		500.00
		योग -	1000.00

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के महानिदेशालय परिसर में बैरक का निर्माण

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल के महानिदेशालय परिसर में समय-समय पर विभिन्न क्रियाकलापों यथा-गणतंत्र दिवस परेड, पी.आर.डी. स्थापना दिवस, पी.आर.डी. का प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के लिए खाली स्थान पर पी.आर.डी. जवानों जवानों को ठहराने की व्यवस्था के लिए 150 क्षमता वाली बहुमंजिला बैरक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 470.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 470.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070-	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800-	अन्य व्यय	
09-	महानिदेशालय परिसर में पी.आर.डी. जवानों हेतु बैरक का निर्माण	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	470.00

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु काल-सेन्टर का विस्तारीकरण

प्रदेश में अधिक से अधिक पशुपालकों तक पशु चिकित्सीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालनार्थ काल सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
13- मोबाइल वेटनरी यूनिट के संचालन हेतु कॉल सेन्टर का विस्तारीकरण
42-अन्य व्यय 150.00

पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार

प्रदेश के पशुपालन विभाग के कार्मिकों की क्षमताओं में वृद्धि तथा पशुपालकों को नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 700.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 700.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य
14- पशुपालकों एवं पशुपालन विभाग के कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना
42-अन्य व्यय 696.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 4.00
योग - 700.00

उत्तर प्रदेश चारा नीति (2024-2029) के अन्तर्गत नैपियर घास की जड़े/स्ट स्लिप उपलब्ध कराने की योजना

उत्तर प्रदेश चारा नीति (2024-2029) के अन्तर्गत हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए नैपियर घास की जड़े / स्ट स्लिप उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 64.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 64.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
107- चारा और चारागाह विकास
03- उत्तर प्रदेश चारा नीति (2024-2029)
0301- नैपियर घास की जड़े/स्ट स्लिप उपलब्ध कराने हेतु
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 64.00

आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र , बक्शी का तालाब, लखनऊ में निर्मित भवनों का सदृढ़ीकरण

आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र , बक्शी का तालाब, लखनऊ की विभिन्न इकाईयों को मानकों के अनुरूप परिवर्तन एवं परिवर्धन के दृष्टिगत यहां स्थित भवनों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4403- पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण

03- आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025 मनाये जाने हेतु प्रदेश स्तर पर सहकारिता के विभिन्न आयामों से आम जन मानस को अवगत कराये जाने के उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2425- सहकारिता
001- निदेशन तथा प्रशासन
07- अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025
42-अन्य व्यय 500.00

उत्तर प्रदेश को आपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंको मे टेक्नालॉजी एडाप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी

आर.बी.आई एवं नाबार्ड द्वारा साइबर क्राइम के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन किये जाने तथा इस हेतु सहकारी बैंकों के सीमित संसाधन व तकनीकी रूप से दक्ष कार्मिकों के अभाव के दृष्टिगत टेक्नालाजी एडाप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था के लिए अंशपूंजी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश
06- उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक तथा जिला सहकारी बैंकों में "टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी"
30-निवेश/ऋण 1000.00

नये जिला सहकारी बैंक का गठन

जनपद बलरामपुर में जिला सहकारी बैंक (कार्यक्षेत्र-बलरामपुर एवं गोण्डा) के गठन के लिये नाबार्ड के माध्यम से आर.बी.आई के सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त किये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश
07- नये जिला सहकारी बैंक का गठन
30-निवेश/ऋण 100.00

अनुदान संख्या 021

खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का भवन निर्माण

खाद्य एवं रसद विभाग के अलीगढ़, प्रयागराज एवं झांसी में अधीनस्थ कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- खाद्य एवं रसद विभाग के मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों का भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण

खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 5000 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
04- खाद्य एवं रसद विभाग के अन्तर्गत अन्नपूर्णा भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण

खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत खाद्य एवं उपभोक्ता भवन के निर्माण हेतु लखनऊ में भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
05- खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण
60-भूमि क्रय 1.00

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

सहकारी चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान

उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की चीनी मिलों के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
03- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 40000.00

सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की क्षमता विस्तारीकरण परियोजना

सहकारी चीनी मिल गजरौला, जिला अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टी.सी.डी से बढ़ाकर 4900 टी.सी.डी करने सल्फरलिस रिफाइण्ड शुगर उत्पादित करने, केन जूस/बी-हैवी/सी0 हैवी शरि का उपयोग करते हुए कम्पेरस्ड बायोगैस प्लान्ट की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
04- सहकारी चीनी मिल गजरौला की पेराई क्षमता विस्तारीकरण आसवनी तथा बायोगैस प्लान्ट आदि हेतु
30-निवेश/ऋण 1.00

सहकारी चीनी मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता

सहकारी चीनी मिलों के ऑफ सीजन मरम्मत एवं रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
05- उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों के आफ सीजन मरम्मत के लिए कर्ज
30-निवेश/ऋण 2500.00

रूद्र बिलास सहकारी चीनी मिल की कार्यक्षमता में सुधार

रूद्र बिलास सहाकारी चीनी मिल, बिलासपुर जिला रामपुर की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु वित्तीय सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
09- रूद्र बिलास सहकारी चीनी मिल, बिलासपुर की तकनीकी अपग्रेडेशन / आधुनिकीकरण
30-निवेश/ऋण 1.00

किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना मे नवीनतम तकनीक पर आधारित चीनी मिल

किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना में नवीनतम तकनीक पर आधारित 5000 टी.सी.डी. क्षमता में नई चीनी मिल स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
12- किसान सहकारी चीनी मिल लि., मोरना की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण
30-निवेश/ऋण 1.00

किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत में नवीनतम चीनी मिल स्थापित

किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत में नवीनतम तकनीक पर आधारित 5000 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
13- किसान सहकारी चीनी मिल लि., बागपत की कार्यक्षमता में सुधार हेतु तकनीकी अपग्रेडेशन एवं आधुनिकीकरण
30-निवेश/ऋण 5000.00

रूग्ण सहकारी चीनी मिलों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकायों के भुगतान

विभिन्न रूग्ण सहकारी चीनी मिलों यथा-सुल्तानपुर, साथा, महमूदाबाद पूरनपुर तथा घोसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकायों के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
101- सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज
22- रूग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज
30-निवेश/ऋण 1.00

बन्द चीनी निगम के पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लान्ट तथा आसवानी की स्थापना

बन्द चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लान्ट तथा आसवानी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 90.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 90.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
04- बंद चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में नई चीनी मिल एवं जनरेशन प्लांट तथा आसवनी की स्थापना
30-निवेश/ऋण 9000.00

उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान

उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
05- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान
30-निवेश/ऋण 7500.00

चीनी निगम की चीनी मिलों की क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण

चीनी निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवानी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
12- निगम की चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण
30-निवेश/ऋण 1.00

छाता (मथुरा) की चीनी मिल की स्थापना

चीनी निगम के अधीन बन्द पड़ी छाता (मथुरा) चीनी मिल की अविवादित भूमि पर 2000 टी.सी.डी. क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
13- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की छाता(मथुरा) चीनी मिल में चीनी मिल, आसवानी एवं लॉजिस्टिक हब-वेयरहाउसिंग काम्प्लेक्स की स्थापना
30-निवेश/ऋण 5000.00

चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) की स्थापना वं जीर्णोद्धार

चीनी निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवानी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज
04- चीनी
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज
14- निगम की बन्द चीनी मिल बुढवल (बाराबंकी) के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र/को-जनरेशन संयंत्र/आसवानी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार
30-निवेश/ऋण 1.00

अनुदान संख्या 025

गृह विभाग (कारागार)

विभिन्न जनपदों के कारागारों में मोटर गाड़ियों का क्रय

जिला कारागार प्रयागराज, संतकबीर नगर, श्रावस्ती व केन्द्रीय कारागार इटावा, हेतु-01-01 बंद जीप,01-01 ऐमबुलेंस व 02-02 मोटर साईकिल की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 92.80 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 92.80 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
26- समस्त कारागार	
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	92.80

प्रदेश के 06 कारागारों में ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था

प्रदेश के 06 कारागारों - यथा केन्द्रीय कारागार इटावा, जिला कारागार मथुरा, मैनपुरी, आजमगढ, अम्बेडकरनगर एवं प्रयागराज में कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टर तथा अन्य सहवर्ती कृषि उपकरणों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 88.36 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 88.36 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
26- समस्त कारागार	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	88.36

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

पुलिस विभाग के बहुमंजिला भवनों का अनुरक्षण

पुलिस विभाग के बहुमंजिला भवनों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
001- निदेशन और प्रशासन
04- पुलिस विभाग की बहुमंजिला भवनों का अनुरक्षण
29-अनुरक्षण 20000.00

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन्सिक साइंसेज हेतु वाहनों का क्रय

उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन्सिक साइंसेज हेतु वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 318.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 318.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2055- पुलिस
116- न्यायालयिक विज्ञान
04- यू.पी. स्टेट इन्सटीट्यूट आफ फारेंसिक साईंस लखनऊ
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 318.00

पुलिस विभाग के सरकारी/अर्ध सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप की स्थापना

पुलिस विभाग के सरकारी/अर्ध सरकारी भवनों में सोलर रूफ टॉप की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
05- सरकारी/अर्द्ध-सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 2000.00

---

03 महिला पी.ए.सी. वाहिनियों में वाहनों का क्रय

प्रदेश में 03 महिला पी.ए.सी. वाहिनियों (जनपद-लखनऊ, बदायूँ एवं गोरखपुर) के लिये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2076.69 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2076.69 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
207- राज्य पुलिस
17- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 2076.69

जी.आर.पी.(राजकीय रेलवे पुलिस) हेतु विभिन्न उपकरणों का क्रय

जी.आर.पी.(राजकीय रेलवे पुलिस) हेतु विभिन्न उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
209- रेलवे पुलिस
03- राजकीय रेलवे पुलिस
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 25.00

विभिन्न शहरों/मंडलों में फायर सर्विस हेतु वाहनों का क्रय

विभिन्न शहरों/मंडलों में फायर सर्विस हेतु वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 62.25 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 62.25 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
11- अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण - प्रशासन
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 6225.00

अनुदान संख्या 028

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

अभियोजन विभाग के गुप्त सेवा व्यय

अभियोजन विभाग के गुप्त सेवा व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 15.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2014- न्याय प्रशासन
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)
03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय
23-गुप्त सेवा व्यय 15.00

अभियोजन विभाग के विभिन्न जनपदों के कार्यालय भवन का नवनिर्माण

अभियोजन विभाग के श्रावस्ती, चन्दौली, सन्तकबीर नगर, गाजियाबाद, महाराजगंज, ललितपुर, सोनभद्र, औरैया, चित्रकूट, बांदा व फिरोजाबाद जनपदों के कार्यालय भवन के नवनिर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- प्रदेश के जनपदों में अभियोजन विभाग के कार्यालय भवन
24-वृहत् निर्माण कार्य 3000.00

क्रम संख्या 029

गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)

श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि

श्री राज्यपाल के विवेकाधीन कोष में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2012- राष्ट्रपति ,उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

102- विवेकाधीन अनुदान

03- राज्यपाल का विवेकाधीन अनुदान-भारित-

42-अन्य व्यय	भारित	50.00

अनुदान संख्या 030

गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)

मुख्य सचिव के अभिसूचना स्रोतों का विकास

मुख्य सचिव के अभिसूचना स्रोतों के विकास के लिये गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 5.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 5.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें
090- सचिवालय
03- मुख्य सचिवालय
0301- अभिसूचना के स्रोतों का विकास
23-गुप्त सेवा व्यय 5.00

मुख्यमंत्री के अभिसूचना संकलन हेतु

मुख्यमंत्री के अभिसूचना के लिये गुप्त सेवा व्यय में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें
800- अन्य व्यय
04- मुख्यमंत्री अभिसूचना हेतु
23-गुप्त सेवा व्यय 50.00

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना

जिला बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0314- जिला बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , बलिया की स्थापना

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	50.00
योग -	200.00

उच्च (चिकित्सा) शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना

प्रदेश में निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का विस्तार तथा उच्च शिक्षा (चिकित्सा) के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए इन्सेन्टिव योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2291.69 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2291.69 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0394- उच्च चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु इन्सेन्टिव योजना

42-अन्य व्यय	2291.69

उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल का गठन

प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत पैरामेडिकल एवं सहबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के मानकों के विनियमन सम्बन्धित संस्थानों के मूल्यांकन, अनुसंधान, विकास एवं नवीनतम वैज्ञानिक उन्नति को अपनाने तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन व अनुश्रवण के लिए यू.पी. स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल के राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0395- यू.पी. स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थकेयर काउंसिल

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	150.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	250.00
योग -	400.00

जनपद बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना

जनपद बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
05- चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
03- शिक्षा
0396- स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलरामपुर

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1500.00
योग -	2500.00

राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना

जिला बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बलिया की स्थापना के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
03- चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
105- एलोपैथी
94- जिला बलिया में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय , बलिया की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00

उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन

उत्तर प्रदेश स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल के पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
03-	चिकित्सा,शिक्षा,प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-	एलोपैथी	
95-	यू.पी. स्टेट एलाइड एण्ड हेल्थ केयर काउंसिल	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.00
	योग -	2.00

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

हेल्थ ए.टी.एम. / कियॉस्क मशीन की स्थापना के लिये एकीकृत कमाण्ड नियंत्रण केन्द्र

उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को अपने निकटतम स्थापित हेल्थ ए.टी.एम. / कियॉस्क मशीन के माध्यम से जाँच उपलब्ध कराये जाने के लिये एकीकृत कमाण्ड नियंत्रण केन्द्र हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी
110- अस्पताल तथा औषधालय
12- हेल्थ कियॉस्क/ए.टी.एम. के लिए एकीकृत कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर
42-अन्य व्यय 2500.00

प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का HOPE-2 माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाना

प्रदेश के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का HOPE-2 (Health Online Parameter Evaluation) के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
03- होप-2 के माध्यम से ऑनलाइन अनुश्रवण
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 500.00

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित किये गये विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक तकनीक के पैथालॉजिकल उपकरणों का संचालन

प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी.एच.सी.) पर अत्याधुनिक तकनीक के उपकरणों के माध्यम से जन सामान्य को नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण जाँच सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
04- पैथलॉजी उपकरणों का संचालन
39-औषधि तथा रसायन 2500.00

प्रदेश में टेलीमेडिसिन / टेलीकंसल्टेशन सेवा

उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को अपने निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन / टेलीकंसल्टेशन सेवा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
05- टेलीकंसल्टेशन सेवा
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 500.00

हेल्थ फैसिलिटी का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

प्रदेश के 30 शैयायुक्त कतिपय संदर्भन इकाईयों के रूप में स्थापित/संचालित/वित्त पोषित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से हेल्थ फैसिलिटी के पी.पी.पी. मोड पर संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 15.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 15.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
06- पी.पी.पी. मोड पर हेल्थ फैसिलिटी का संचालन
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 1500.00

उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन

प्रदेश के नागरिकों को सहज-सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत त्वरित गति से चिकित्सकों के चयन का कार्य पूर्ण किये जाने के लिए उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 334.20 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 334.20 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
12- उ.प्र. विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड

04-यात्रा व्यय	5.00
07-मानदेय	43.20
08-कार्यालय व्यय	10.00
09-विद्युत देय	5.00
10-जलकर / जल प्रभार	2.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	200.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	12.00
18-प्रकाशन	5.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00
22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	3.00
42-अन्य व्यय	10.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00
योग -	334.20

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय भवन का निर्माण

प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
03-	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मुख्यालय भवन का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1000.00
	60-भूमि क्रय	9000.00
	योग -	10000.00

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी- 2.0

उत्तर प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में रहने वाले दुर्बल/निम्न/मध्यम आय वर्ग श्रेणी के शहरी गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को शहरी क्षेत्रों में किफायती दरों पर आवास निर्माण/क्रय व किराये पर लेने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-(2.0) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 121232.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 121232.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
051- निर्माण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0115- प्रधानमंत्री आवास योजना-सब के लिए आवास (शहरी) मिशन - (2.0) (के.60/रा.40-के.+रा.)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 121232.30

प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाना

विभिन्न नगर विकास की योजनाओं के कन्वर्जेंस के पश्चात् भी किसी गैप को दूर करते हुए प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 145.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 145.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
191- नगर निगमों को सहायता
03- प्रदेश के जनपद मुख्यालय के नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 14500.00

नवसृजित/सृजित होने वाले नगर निगमों में सड़कों का पुनरूद्धार/नवीनीकरण/विस्तारीकरण

नवसृजित नगर निगमों यथा- मथुरा-वृंदावन, अयोध्या एवं शाहजहाँपुर तथा भविष्य में सृजित होने वाले नगर निगमों में सड़कों के पुनरूद्धार/नवीनीकरण/विस्तारीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
80- सामान्य
191- नगर निगमों को सहायता
06- नवसृजित / सृजित होने वाले नगर निगमों में सड़कों के पुनरूद्धार/नवीनीकरण/विस्तारीकरण हेतु
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 5000.00

अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना

प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर आम जनमानस को किफायती तथा गुणवत्ता आधारित स्वच्छ एवं पोषक भोजन की व्यवस्था के लिए "अन्नपूर्णा रसोई" की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800- अन्य व्यय

05- प्रदेश के नगरीय निकायों के किफायती तथा गुणवत्ता आधारित स्वच्छ एवं पोषक भोजन की व्यवस्था के लिए "अन्नपूर्णा रसोई" की स्थापना

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 1000.00

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

वायुयानों के मेंटीनेन्स, रिपेयर तथा ओवरहॉल हेतु नीति, 2022

वायुयानों के मेंटीनेंस, रिपेयर तथा ओवरहाल नीति-2022 के अन्तर्गत प्रदेश में पूंजी निवेश करने वाली इकाईयों को सब्सिडी हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3053-	नागर विमानन	
01-	हवाई सेवाएं	
800-	अन्य व्यय	
04-	वायुयानों के मेण्टीनेन्स, रिपेयर तथा ओवरहाल हेतु नीति, 2022	
	27-सब्सिडी	5000.00

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

त्वरित आर्थिक विकास योजना

त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत सड़क, पुल, सामुदायिक केन्द्र, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, मलजल, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युतीकरण, लघु सिंचाई, वनीकरण, अधिवक्ता चैम्बर निर्माण आदि कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1699.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1699.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60- अन्य भवन	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0303- अधिवक्ताओं के चैम्बर्स / पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/ तहसील स्तर पर अधिवक्ता / वादकारी के लिये स्थायी ढांचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु	
24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00
योग -	15500.00
4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01- सामान्य शिक्षा	
202- माध्यमिक शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- राजकीय पॉलीटेक्निक का भवन निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना	
0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	
24-वृहत् निर्माण कार्य	5.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें	
800- अन्य व्यय	

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- भवनों के निर्माण / विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 5.00

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01- जलपूर्ति

101- शहरी जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

102- ग्रामीण जल पूर्ति

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

02- मल-जल तथा सफाई

101- शहरी सफाई सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- जल निकासी कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

106- मल-जल सेवाएं

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- मल जल सेवाओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 5.00

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203- रोजगार

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का भवन निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 5.00

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01- वानिकी

102- समाज तथा फार्म वानिकी

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- वनीकरण कार्यक्रम

24-वृहत् निर्माण कार्य 5.00

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

800- अन्य व्यय

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना

0301- लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिये एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 5.00

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
05 - संचरण तथा वितरण		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - विद्युत वितरण/विद्युत केन्द्र/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		5450.00
06 - ग्रामीण विद्युतीकरण		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - विद्युतीकरण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		5.00
80 - सामान्य		
800 - अन्य व्यय		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		9000.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04 - जिला तथा अन्य सड़कें		
101 - पुल		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0302 - नये सेतुओं के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		10000.00
337 - सड़क निर्माण कार्य		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0301 - ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		84950.00
0302 - शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24-वृहत् निर्माण कार्य		30000.00
	योग -	114950.00
	कुल योग -	169950.00

जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान

प्रदेश के निर्धन परिवारों को भोजन व वस्त्र की समुचित उपलब्धता, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा एवं सतत् आय की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 225.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 225.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें
800- अन्य व्यय
04- "जीरो पावर्टी - उत्तर प्रदेश" अभियान
42-अन्य व्यय 22500.00

जनपद की डी.डी.पी (District Domestic Product) के बेहतर आंकलन हेतु सर्वेक्षण

जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी जनपद की डी.डी.पी (District Domestic Product) के बेहतर आंकलन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3454- जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
112- आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी
03- आर्थिक सलाह एवं सांख्यिकी

04-यात्रा व्यय	95.67
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	8.55
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.90
42-अन्य व्यय	2.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	56.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	206.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2126.88
योग -	2500.00

जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान

प्रदेश के निर्धन परिवारों को भोजन व वस्त्र की समुचित उपलब्धता, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा एवं सतत् आय की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
04- "जीरो पावर्टी - उत्तर प्रदेश" अभियान
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वान्चल)

प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण कराये जाने के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वान्चल) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 450.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 450.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 45000.00

क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित जनपदों के अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं और पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण कराये जाने के लिए क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 350.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 350.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य
800- अन्य व्यय
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
24-वृहत् निर्माण कार्य 35000.00

महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के लिए एक नये वाहन का क्रय

महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के लिए नये वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 19.23 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 19.23 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

112- सांख्यिकीय

03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय

14-मोटर गाड़ियों का क्रय 19.23

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

विभागीय पोर्टल्स को ए.आई. आधारित डैशबोर्ड से जोड़ा जाना

परिवहन विभाग के अन्तर्गत सारथी और वाहन पोर्टल, रियल टाइम शिकायत निवारण, परमिट ट्रैकिंग, सड़क सुरक्षा के लिए ए.आई. आधारित डैशबोर्ड से जोड़े जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3055- सड़क परिवहन
001- निदेशन तथा प्रशासन
04- विभागीय पोर्टल्स को ए.आई. आधारित डेशबोर्ड से जोड़ा जाना
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 1000.00

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई इलेक्ट्रिक बसों का क्रय

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन निगम के बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु नई इलेक्ट्रिक बसों के क्रय के लिये अंशपूंजी नियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
04- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी
0402- बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु
30-निवेश/ऋण 40000.00

मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना

मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्यम श्रेणी इलेक्ट्रिक बसों का क्रय किये जाने के लिए अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश
04- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी
0403- "मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना" हेतु मध्यम श्रेणी इलेक्ट्रिक बस
30-निवेश/ऋण 10000.00

इलेक्ट्रिक बसों हेतु चार्जिंग स्टेशन का निर्माण

प्रदेश के समस्त जनपदों में इलेक्ट्रिक बसों के मेन्टीनेन्स एवं चार्जिंग स्टेशन के निर्माण की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रुपये लाख में)

5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी

0404- चार्जिंग स्टेशन हेतु

30-निवेश/ऋण 5000.00

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

पर्यटन सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण

उत्तर प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधायें तथा पर्यटन स्थलों के विषय में समेकित ज्ञान प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित व्यवसायियों/व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

3452- पर्यटन
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
12- पर्यटन सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण
42-अन्य व्यय 100.00

प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर वे-साइड-ऐमिनिटी का निर्माण

प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे-साइड-ऐमिनिटी का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
04- प्रदेश के प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों के सुविधार्थ मार्गीय सुविधाओं (वे-साइड ऐमिनिटी) का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 10000.00

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् द्वारा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् द्वारा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
05- उ.प्र. श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् द्वारा चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम

स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु सेन्टेज एवं सेन्टेज पर अनुमन्य जी.एस.टी एवं लेबर सेस के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 272.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 272.00 लाख

की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
52- स्वदेश दर्शन-2.0 के देय करों के भुगतान हेतु
42-अन्य व्यय 272.00

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन का विकास

पर्यटकों को ग्रामीण जीवनशैली, परम्परा, परिवेश से परिचित कराये जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रामों का पर्यटन विकास कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
53- उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

विदुर कुटी एवं महाभारत सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास

महाभारत सर्किट के अन्तर्गत हस्तिनापुर, काम्पिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोण्डा, लाक्षागृह, हण्डिया (प्रयागराज) की चकवध स्थल राठ (हमीरपुर) तथा विदुर कुटी (बिजनौर) व अन्य स्थलों का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
104- संवर्धन तथा प्रचार
54- विदुर कुटी एवं महाभारत सर्किट के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

जैन सर्किट स्थलों का पर्यटन विकास

उत्तर प्रदेश में जैन सर्किट स्थलों के अन्तर्गत पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5452-	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	
80-	सामान्य	
104-	संवर्धन तथा प्रचार	
55-	जैन सर्किट अन्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00

अनुदान संख्या 045

पर्यावरण विभाग

उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट

उत्तर प्रदेश क्लीन एयर ''मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट'' एक मल्टीसेक्टोरल परियोजना है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए (SPV) विशेष प्रयोजन वाहन का गठन एवं परियोजना संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 198.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 198.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5425-	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	
208-	पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण	
97-	बाह्य सहायतित परियोजनायें	
9701-	उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट	
	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	800.00
	24-वृहत् निर्माण कार्य	15000.00
	26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	4000.00
	योग -	19800.00

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

प्राविधिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक कार्यालय का संचालन

महानिदेशक कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2203- तकनीकी शिक्षा	
001- निदेशन तथा प्रशासन	
03- तकनीकी शिक्षा तथा निदेशालय	
01-वेतन	45.00
03-मंहगाई भत्ता	24.00
06-अन्य भत्ते	6.00
योग -	75.00

अनुदानित प्राविधिक विश्विघालयों / संस्थानों / इंजीनियरिंग कॉलेजों को सहायता

राज्य सरकार द्वारा अनुदानित प्राविधिक विश्विघालयों / संस्थानों / इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रबन्धन के लिए निजी एजेन्सी की भागीदारी, अनुबंधित संकाय सदस्यों के मानदेय तथा अन्तिम वर्ष के छात्र / छात्राओं के प्रशिक्षण के लिए सहायता हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2203- तकनीकी शिक्षा	
112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान	
06- अनुदानित प्राविधिक संस्थानों/विश्वविघालयों/इंजीनियरिंग कालजों को सहायता	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	100.00

राजकीय पॉलीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेंस सेन्टर

चयनित राजकीय पॉलीटेक्निकों में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेंस सेन्टर स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
02- तकनीकी शिक्षा	
104- बहुशिल्प	
14- राजकीय पालीटेक्निकों में नवीन टेक्नोलाजी से सुसज्जित उन्नयन/एक्सीलेंस सेंटर	
24-वृहत् निर्माण कार्य	6000.00
60-भूमि क्रय	4000.00
योग -	10000.00

राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लास-रूम, प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण आदि

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में वृद्धि, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार के उद्देश्य से विद्यमान राजकीय पॉलीटेक्निक में स्मार्ट क्लास रूम प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण आदि की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
104- बहुशिल्प
15- राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम, प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण आदि
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1000.00

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ए.आई. फॉर एजुकेशन

राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों, स्टार्टअप्स, आई.टी. हब की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत तकनीकी विकास के लिए प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ए.आई. फॉर एजुकेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान
03- सेन्टर ऑफ ऐक्सीलेंस इन ए.आई. फार एजूकेशन
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर परिसर में कार्मिकों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
800- अन्य व्यय
06- प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर परिसर में आवासीय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 75.00

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में भोजन मद में टॉपअप की व्यवस्था

मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित गृहों में भोजन मद में टॉपअप की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 792.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 792.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
09- विभागीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में भोजन की आपूर्ति
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 792.00

अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार हेतु टॉपअप की व्यवस्था

प्रदेश की बाल विकास परियोजना कार्यालयों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार के लिए टॉपअप की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 16990.12 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 16990.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
102- बाल कल्याण
11- अनूपूरक पुष्टाहार योजनान्तर्गत पोषाहार हेतु टॉपअप की व्यवस्था
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति 16990.12

शक्ति सदनों का संचालन

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय एवं पुनर्वासन के लिए प्रदेश के 10 मण्डलीय जनपदों यथा अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झाँसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी एवं सहारनपुर में शक्ति सदनों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 513.90 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 513.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0106- शक्ति सदनों का संचालन (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 513.90

सखी निवास का संचालन

कामकाजी महिलाओं को नगरीय क्षेत्रों में सस्ती दरों पर सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजीयाबाद में सखी निवासों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 154.90 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 154.90 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0107- सखी निवास का संचालन (के.60/रा.40-के.+रा.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 154.90

नारी अदालत योजना का संचालन

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित मिशन शक्ति की उपयोजना संबल के अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के पंचायत स्तर पर ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकार, विभागीय योजना की जानकारी प्रदान करने तथा उनमें सुधार लाने के लिए सुझाव प्राप्त किये जाने के उद्देश्य से 08 आकांक्षात्मक जनपदों- बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं सोनभद्र में नारी अदालत के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 244.48 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 244.48 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0108- नारी अदालत का संचालन (के.100/रा.00-के.)
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 244.48

शक्ति सदनों की स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी की संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय एवं पुनर्वासन के लिए प्रदेश के 10 मण्डलीय जनपदों यथा अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर नगर, चित्रकूट, झाँसी, गोण्डा, बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी एवं सहारनपुर में शक्ति सदनों की स्थापना से सम्बन्धित सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
06- शक्ति सदनों स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

सखी निवासों की स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय

भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित मिशन शक्ति की उपयोजना सामर्थ्य के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं को नगरीय क्षेत्रों में सस्ती दरों पर सुरक्षित आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिए जनपद-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, बरेली, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में सखी निवासों की स्थापना से सम्बन्धित सामग्रियों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
11- सखी निवासों की स्थापना हेतु सामग्रियों का क्रय
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 100.00

मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण

प्रदेश के 07 जनपदों यथा- वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी एवं आगरा में कामकाजी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 170.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 170.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
03- मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 17000.00

कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास का निर्माण

प्रदेश में जनपद गौतमबुद्ध नगर एवं लखनऊ में 500-500 की क्षमता के 08 श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 382.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 382.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
103- महिला कल्याण
08- कामकाजी महिलाओं हेतु महिला छात्रावास का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 382.00

अनुदान संख्या 052

राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)

राजस्व कर्मियों हेतु टैबलेट का क्रय

प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्यों के लिए तकनीकी उपकरण (लैपटॉप/टैबलेट/स्मार्ट फोन आदि) उपलब्ध कराये जाने के अन्तर्गत टैबलेट क्रय किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2029- भू-राजस्व
103- भू-अभिलेख
09- राजस्व कर्मियों को तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु
42-अन्य व्यय 2400.00

साफ्टवेयर एवं पोर्टल का निर्माणकार्य

प्रदेश के चकबंदी विभाग में आधुनिकीकरण एवं ई-चकबंदी योजना के माध्यम से भूचित्र निर्माण से लेकर अन्तिम अधिकार अभिलेख निर्माण तक के कार्य साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटराईजेशन के माध्यम से किये जाने के लिए साफ्टवेयर एवं पोर्टल के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2029- भू-राजस्व
800- अन्य व्यय
03- खेतों की चकबन्दी
0303- ई-चकबन्दी योजना
42-अन्य व्यय 200.00

उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ की स्थापना

प्रदेश में राजस्व विभाग के अधिकारियों के उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के विधानों एवं राजस्व नियमों के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
08- राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

प्रदेश में 08 मण्डलीय लेखपाल प्रशिक्षण विघालयों/छात्रावासों का नवनिर्माण

प्रदेश में लेखपालों के प्रशिक्षण के लिए मण्डल कानपुर, अयोध्या, झाँसी, सहारनपुर, मेंरठ, मिर्जापुर, बस्ती व अलीगढ कुल 08 लेखपाल प्रशिक्षण विघालय/छात्रावास के नव निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार

वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60- अन्य भवन

051- निर्माण

09- लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों/छात्रावास का निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनुदान संख्या 055

लोक निर्माण विभाग (भवन)

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरूद्धार

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कार्यालय भवनों के विस्तार एवं पुनरूद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- निर्माण - लोक निर्माण
0604- कार्यालय भवनों का विस्तार एवं पुनरोद्धार
24-वृहत् निर्माण कार्य 400.00

कार्यालय भवनों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में कार्यालय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- निर्माण - लोक निर्माण
0607- विभिन्न जनपदों (नवसृजित जनपदों सहित) में नये कार्यालय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

अनावासीय भवनों का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनावासीय भवनों में उन्नयन / सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 650.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 650.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
03- अनावासीय भवनों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 650.00

शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन

रूपये 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण, ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में डी.पी.आर. के गठन पर आने वाले व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
05- शासकीय भवनों के निर्माण कराये जाने के लिये प्रोजेक्ट रिपोर्ट / आगणन हेतु
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 1.00

सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सर्किट हाउस / निरीक्षण भवनों में मशीनें और सज्जा / उपकरण, संयंत्र एवं जनरेटर की स्थापना कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 368.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 368.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
11- प्रदेश के निरीक्षण भवनों / सर्किट हाउसों में जनरेटर की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 368.00

निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार

प्रदेश के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों एवं नवसृजित जनपदों में नये निरीक्षण भवनों की स्थापना एवं कतिपय जनपदों में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूर्व निर्मित निरीक्षण भवनों के विस्तारीकरण तथा जीर्णोद्धार का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
18- निरीक्षण भवनों एवं सर्किट हाउसों का विस्तार / निर्माण / जीर्णोद्धार के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 4000.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 425.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 425.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
20- राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 425.00

अधिकारी हास्टल एवं ट्रांजिट हास्टल का निर्माण

प्रदेश के जनपदों जहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल नहीं हैं, वहाँ अधिकारी हास्टल / ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जाना एवं वर्तमान ट्रांजिट हॉस्टलों का विस्तार किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
22- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में विभिन्न भवनों का विस्तार एवं नये भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
25- लोक सेवा आयोग परिसर, प्रयागराज में आवासीय/अनावासीय नये भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1.00

आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग

लोक निर्माण विभाग के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 80.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 80.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
27- आवासीय / अनावासीय भवनों में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नये कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 80.00

दिव्यांगजनों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान

प्रदेश के विभिन्न आवासीय / अनावासीय भवनों जहाँ दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु रैम्प, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, में रैम्प तथा शौचालय के नये निर्माण कार्य कराये जाने के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
29- दिव्यांगजनों का आर्थिक सामाजिक उत्थान का कार्य (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना

शासकीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 19.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 19.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
31- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत शासकीय भवनों पर सोलर रूफटाप पैनल की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 1900.00

पूल्ड आवासों का निर्माण

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारियों / कर्मचारियों के अध्यासन के लिये नये पूल्ड आवासों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
106- साधारण पूल आवास
03- निर्माण - लोक निर्माण
0305- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये पूल्ड आवासों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 200.00

आवासीय भवनों का निर्माण

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के आवास के लिये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नये आवासीय भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 600.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0537- कर्मचारियों / अधिकारियों के नये आवासीय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 600.00

राजभवन, लखनऊ परिसर में लघु निर्माण कार्य

राजभवन, लखनऊ परिसर में कतिपय लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 110.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 110.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0538- राजभवन, लखनऊ
25-लघु निर्माण कार्य मतदेय 0.00
भारित 110.0

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 354.56 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 354.56 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0403- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 35456.00

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 11818.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 11818.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0405- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 11818.50

नये रेल कम रोड सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण

जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु के डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित नये रेल कम रोड सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 250.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 250.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0407- जनपद वाराणसी में गंगा नदी पर मालवीय सेतु हेतु डाउनस्ट्रीम में प्रस्तावित नए रेल कम रोड हेतु पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 25000.00

जनपद प्रयागराज में गंगा जी पर नये पुल का निर्माण

जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूंसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 236.37 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 236.37 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0408- जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूंसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये पुल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 23637.00

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नये पुल का निर्माण

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 315.16 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 315.16 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)
0409- जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के सामान्तर एक नये पुल के निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 31516.00

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 393.95 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 393.95 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
05- रेलवे उपरिगामी सेतु
0517- रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 39395.00

सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)

नाबार्ड पोषित योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 551.53 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 551.53 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
101- पुल
36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर नये सेतुओं का निर्माण (नाबार्ड पोषित)
24-वृहत् निर्माण कार्य 55153.00

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

राज्य राजमार्गों का सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण

राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 315.16 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 315.16 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
03- राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य
0306- राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण / चौड़ीकरण के नए कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 31516.00

औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण के नये कार्य

औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण के नये कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
09- औद्योगिक / लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / निर्माण कार्य (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 40000.00

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख व अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 787.90 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 787.90 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
13- एकमुश्त व्यवस्था
1328- प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 78790.00

तहसील / ब्लाक मुखयालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण

पं. दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत समस्त तहसील / ब्लाक मुखयालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गों का निर्माण / चौड़ीकरण / सुदृढीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
13- एकमुश्त व्यवस्था
1347- प 0 दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत तहसील/ब्लाक मुख्यालय को 02 लेन मार्गो से जोडे जाने हेतु मार्गो का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर का निर्माण

शहरों के बाईपास, रिंग रोड एवं फ्लाई ओवर के निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
337- सड़क निर्माण कार्य
85- शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फलाईओवर के निर्माण के नये कार्यों की व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 40000.00

राज्य राजमार्गों का उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा) के माध्यम से प्रदेश में राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
800- अन्य व्यय
03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
0301- राज्य राजमार्गों के उन्नयन, सुदृढीकरण और निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00

धर्माथ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य)

धर्माथ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास के लिये एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 700.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 700.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
11- धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 70000.00

प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति के लिये एकमुश्त व्यवस्था कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
13- एक मुश्त व्यवस्था
1330- प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था
60-भूमि क्रय 7500.00

क्षतिपूरक वनीकरण का भुगतान

मार्ग निर्माण अथवा चौड़ीकरण के समय वन क्षेत्र में लगे पेड़ों को काटने की अनुमति प्राप्त किये जाने के पूर्व क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
13- एक मुश्त व्यवस्था
1335- क्षतिपूरक वनीकरण के भुगतान हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

मुख्य मंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये मुख्य मंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1356- मुख्यमंत्री ग्राम योजनान्तर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिक के निर्माण हेतु व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था

नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

13- एक मुश्त व्यवस्था

1357- नार्थ साउथ कॉरीडोर के विकास हेतु मार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढीकरण/ नवनिर्माण / पुनर्निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था

24-वृहत् निर्माण कार्य 20000.00

राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के लिये ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें

337- सड़क निर्माण कार्य

18- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम / बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवनिर्माण / पुनर्निर्माण / मिसिंग लिक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 15000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

कृषि विपणन सुविधाओं के लिये नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 600.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 600.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
86- नाबार्ड वित्त पोषित आर 0 आई 0 डी0 एफ 0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख / अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 60000.00

कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं का निर्माण

पं. दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों / लघु सेतुओं के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
337- सड़क निर्माण कार्य
99- पं दीनदयाल उपाध्याय सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु अनजुड़े ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्गो से जोडने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 करोड़ की

आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
800- अन्य व्यय
04- केन्द्रीय मार्ग एवं अवस्थापना निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य
0470- मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था (के.100/रा.0-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 7500.00

अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण

लोक निर्माण विभाग के अन्वेषणालय की 14 प्रयोगशालाओं तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की 14 प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
004- अनुसंधान
04- अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100.00

मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय

मूल्यह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 40.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
04- मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 4000.00

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रबन्धन एवं नियोजन

लोक निर्माण विभाग के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के नये कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

80- सामान्य

800- अन्य व्यय

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था

46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 2500.00

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

अनावासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना

राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत अनावासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
06- अनावासीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 100.00

नई दिल्ली / नोएडा में नये अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि का क्रय एवं निर्माण कार्य

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन नई दिल्ली / नोएडा में नये अति विशिष्ट अतिथि गृह के निर्माण के लिये भूमि का क्रय एवं निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
09- नई दिल्ली / नोएडा में नये अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण हेतु भूमि का क्रय एवं निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00
60-भूमि क्रय 5000.00
योग - 7500.00

अतिथिगृहों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना

राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत अतिथिगृहों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
051- निर्माण
10- अतिथिगृहों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 50.00

नये बहुखण्डीय भवन का निर्माण

बादशाहनगर राजकीय कालोनी के ब्लाक संख्या यू0-1 से कुल श्रेणी-3 के 85 असुरक्षित जीर्ण-शीर्ण आवासों को ध्वस्त कराकर इनके स्थान पर श्रेणी-3 के 01 ब्लाक (54 आवास) एवं श्रेणी-2 के 03 ब्लाक (216 आवास) नये बहुखण्डीय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1652.12 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1652.12 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0510- बादशाह नगर, लखनऊ राजकीय कालोनी के पुराने असुरक्षित आवासों के स्थान पर श्रेणी-2 एवं श्रेणी-3 के नये आवासीय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1652.12

आवासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना

राज्य सम्पत्ति विभाग के अन्तर्गत आवासीय भवनों पर सोलर रूफ टॉप पैनल की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0511- आवासीय भवनों पर सोलर रूफटॉप पैनल की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 50.00

नये आवासीय बहुखण्डीय भवन का निर्माण

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन मोतीझील कालोनी में टाईप-2 श्रेणी (जी-2) के असुरक्षित कुल 120 आवासों को ध्वस्त कराकर उसके स्थान पर नये आवासीय बहुखण्डीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय
01- सरकारी रिहायशी भवन
700- अन्य आवास
05- निर्माण-अन्य
0515- मोती झील कॉलोनी के असुरक्षित आवासों के स्थान पर नए आवासीय बहुखण्डीय भवनों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1.00

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 90.15 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 90.15 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
103- राजकीय कालेज तथा संस्थान
03- उ.प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
42-अन्य व्यय 90.15

पंचतन्त्र वन में कहानियों का निर्माण एवं संयोजन

राजभवन में स्थापित पंचतन्त्र वन में पं. विष्णु शर्मा द्वारा रचित 05 अतिरिक्त कहानियों के निर्माण एवं संयोजन के लिए राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2406- वानिकी तथा वन्य जीव
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
112- सार्वजनिक उद्यान
03- राजभवन में स्थापित पंचतंत्र वन में पं. विष्णु शर्मा द्वारा रचित शिक्षाप्रद कहानियों का निर्माण एवं संयोजन
42-अन्य व्यय 1.00

जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

जनपद गोरखपुर में उ. प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूँजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 4909.35 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 4909.35 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
03- उ.प्र. वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
24-वृहत् निर्माण कार्य 4000.00
60-भूमि क्रय 909.35
योग - 4909.35

पंचतन्त्र वन में कहानियों का निर्माण एवं संयोजन

राजभवन में स्थापित पंचतन्त्र वन में पं. विष्णु शर्मा द्वारा रचित 05 अतिरिक्त कहानियों के निर्माण एवं संयोजन के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 78.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 78.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय
02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव
112- सार्वजनिक उद्यान
03- राजभवन में स्थापित पंचतंत्र वन में पं. विष्णु शर्मा द्वारा रचित शिक्षाप्रद कहानियों का निर्माण एवं संयोजन
24-वृहत् निर्माण कार्य 78.00

अनुदान संख्या 063

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निर्माण कार्य

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के गेस्ट हाउस में 03 सूट्स कक्षों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 190.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 190.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
03- वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में 03 सूट्स कक्षों का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 190.00

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उत्तर प्रदेश, लखनऊ में सोलर रूफ टॉफ संयंत्र

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में 204 कि0 वा0 सोलर रूफ टॉफ संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 122.40 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 122.40 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
60- अन्य भवन
051- निर्माण
04- वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सोलर रूफटाफ संयंत्र
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 122.40

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नये वाहन का क्रय

वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए नये वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 11.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 11.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
04- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 11.00

कोषागार निदेशालय एवं साइबर ट्रेजरी हेतु वाहन का क्रय

कोषागार निदेशालय एवं साइबर ट्रेजरी के लिए कुल 02 नये वाहनों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 29.43 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 29.43 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- कोषागार निदेशालय एवं साइबर ट्रेजरी
14-मोटर गाड़ियों का क्रय 29.43

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 का क्रियान्वयन`

अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने एवं नियमित जमा योजनाओं में भ्रामक आधार पर जमा प्राप्त किये जाने पर प्रतिबंध लगाये जाने के उद्देश्य से "अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019" के क्रियान्वयन के लिए अधिष्ठान व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 592.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 592.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें

091- संलग्न कार्यालय

09- अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम-2019 का क्रियान्वयन

01-वेतन	259.36
02-मजदूरी	1.50
03-मंहगाई भत्ता	137.47
04-यात्रा व्यय	8.35
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.35
06-अन्य भत्ते	2.50
07-मानदेय	0.50
08-कार्यालय व्यय	6.00
09-विद्युत देय	1.00
10-जलकर / जल प्रभार	0.03
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.09
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	17.50
13-टेलीफोन पर व्यय	1.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	8.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	60.00
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	2.00
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	12.50
29-अनुरक्षण	1.25
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	6.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.25
49-चिकित्सा व्यय	1.25
51-वर्दी व्यय	0.35
55-मकान किराया भत्ता	30.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	28.00

योग -	592.00

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, के अधीनस्थ कार्यालय हेतु शासकीय भवन का निर्माण

उपनिबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, गाजियाबाद के शासकीय भवन के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 800.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 800.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
06- उप निबन्धक, फर्मस, सोसाइटीज एवं चिट्स, गाजियाबाद के शासकीय भवन का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
60-भूमि क्रय	500.00
योग -	800.00

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय में भूमिगत पार्किंग तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय में भूमिगत पार्किंग तथा कार्यालय भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 394.71 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 394.71 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01- कार्यालय भवन	
051- निर्माण	
07- आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में भूमिगत पार्किंग तथा कार्यालय भवन का निर्माण	
24-वृहत् निर्माण कार्य	394.71

निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ हेतु नए वाहन का क्रय`

निदेशक, सहकारी समितियाँ एवं पंचायत लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश,लखनऊ के शासकीय उपयोग के लिए वाहन के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800- अन्य व्यय	
03- सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान	
14-मोटर गाडियों का क्रय	20.00

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय, लखनऊ में वाहन का क्रय

आन्तरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा, निदेशालय, लखनऊ के लिए वाहन क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
05- आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय
14-मोटर गाडियों का क्रय 20.00

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय हेतु

रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ में विभागाध्यक्ष हेतु शासकीय कार्य के प्रयोजनार्थ वाहन की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
03- भारतीय भागिता अधिनियम,सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन
14-मोटर गाडियों का क्रय 20.00

अनुदान संख्या 067

विधान परिषद् सचिवालय

माननीय सभापति, विधान परिषद् के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि

माननीय सभापति, विधान परिषद् के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 40.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 40.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
102- विधान परिषद
04- मा. सभापति, विधान परिषद् द्वारा विवेकाधीन अनुदान
42-अन्य व्यय 40.00

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विवेकाधीन अनुदान में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल
101- विधान सभा
04- मा. अध्यक्ष विधान सभा द्वारा विवेकाधीन अनुदान
42-अन्य व्यय 25.00

ई-साइन कार्ड सॉल्यूशन्स (डिजिटल डिस्प्ले यूनिट) की स्थापना

विधान सभा की समितियों की बैठकों एवं अन्य विशेष आयोजनों तथा माननीय सदस्य विधान सभा की सीटों पर ई-साइन कार्ड सॉल्यूशन्स (डिजिटल डिस्प्ले यूनिट) की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 148.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 148.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
06- ई-साइन कार्ड सॉल्यूशन्स (डिजिटल डिस्प्ले यूनिट)
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 148.50

विधान सभा मंडप के समस्त प्रवेश द्वारों पर ए.आई.(AI) कैमरा की स्थापना

विधान सभा मंडप के समस्त प्रवेश द्वारों पर ए.आई.(AI) कैमरा आधारित फेशियल रिकॉग्निशन एण्ड डिटेक्शन सिस्टम की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 477.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 477.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
07- विधान सभा मण्डप के समस्त प्रवेश द्वारों पर ए.आई. कैमरा
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 477.00

विधान सभा कार्यालय कक्षों हेतु स्थापित वातानुकूलन संयंत्र मरम्मत/बदलाव

विधान सभा कार्यालय कक्षों हेतु मुख्य भवन विधान सभा में स्थापित वातानुकूलन में पूर्व में स्थापित चिलर पाइपलाइन एवं वाल्वों के बदलाव एवं ए.एच.यू. के मरम्मत/बदलाव संबंधित कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 293.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 293.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
13- विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबन्धी कार्य
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 293.00

डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और विडियो कॉल्स के विस्तार सम्बन्धी उपकरणों की स्थापना

माननीय अध्यक्ष विधान सभा एवं विधान सभा के माननीय सदस्यों के प्रयोगार्थ विधान सभा सचिवालय स्थित टण्डन हॉल में द्विपक्षीय पॉडकास्टिंग एवं कान्फ्रेंसिंग सिस्टम की स्थापना के लिए रूपये 289.00 लाख तथा विधान सभा सचिवालय स्थित कक्ष संख्या-15 में कम्यूनिकेशन-सिस्टम, ग्राफिक मॉनिटर सिस्टम तथा उच्च स्तरीय वीडियो कान्फ्रेंसिग सिस्टम की स्थापना के लिए रूपये 266.00 लाख अर्थात् इस हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 555.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 555.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
80- सामान्य
800- अन्य व्यय
14- सदन की कार्यवाही के सजीव प्रसारण हेतु डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और विडियो वॉल्स के विस्तार संबंधी उपकरणों की स्थापना
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 555.00

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना

प्रदेश में 18 मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना के लिए राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
001- निदेशन और प्रशासन
03- प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय के प्रशिक्षण प्रखण्ड का संचालन
01-वेतन 300.00

एमबीपीएस डेडीकेटेड लीजलाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना

चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में 100 एमबीपीएस डेडीकेटेड लीजलाइन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 660.08 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 660.08 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
03- 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं 01 प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र अलीगंज, लखनऊ में 100 एम.बी.पी.एस. डेडीकेटड लीजलाईन इन्टरनेट कनेक्शन की स्थापना
13-टेलीफोन पर व्यय 660.08

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नवयुवकों को प्रशिक्षित कर सेवायोजित करना

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण नियोक्ता उद्योग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चल रहे परम्परागत व्यवसायों में नियोक्ता द्वारा नवयुवकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सेवायोजित किये जाने हेतु
42-अन्य व्यय 100.00

नवयुवकों के लिए राज्य-स्तरीय इन्टर्नशिप योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री इन्टर्नशिप योजना के अनुरूप राज्य स्तर की इन्टर्नशिप योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
102- शिक्षुता प्रशिक्षण
04- नव युवकों के लिये राज्य स्तरीय इन्टर्नशिप योजना
42-अन्य व्यय 100.00

ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना

प्रदेश में संचालित 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 18 मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं 01 निदेशालय कुल 305 कार्यालयों में ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण एवं मानीटरिंग की उचित व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
800- अन्य व्यय
03- व्यवसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत ऑफिस मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना
42-अन्य व्यय 500.00

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन एवं स्पोक्स एण्ड हब मॉडल के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कौशल वृद्धि की योजना

सम्पूर्ण देश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में योजनान्तर्गत चयनित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से प्रदेश के चयनित संस्थानों का अपग्रेडेशन एवं स्पोक्स एण्ड हब मॉडल के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कौशल वृद्धि की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास
03- प्रशिक्षण
800- अन्य व्यय
06- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का अपग्रेडेशन एवं स्पोक्स एण्ड हब के द्वारा गुणवक्तापूर्ण कौशल वृद्धि की योजना
42-अन्य व्यय 1.00

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के भवन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के भवन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
03- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के भवन का आधुनिकीकरण एवं विस्तार
24-वृहत् निर्माण कार्य 300.00

मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना

प्रदेश में 18 मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालयों की स्थापना किये जाने के लिए पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 27.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 27.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
01- कार्यालय भवन
051- निर्माण
04- 18 मण्डलीय संयुक्त निदेशक कार्यालय का भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 2700.00

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

जनपद वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना

जनपद वाराणसी में साइंस सिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
06- जनपद वाराणसी में साइंससिटी एवं नक्षत्रशाला की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

जनपद आगरा में साइंस सिटी की स्थापना

जनपद आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
07- जनपद आगरा में साइंस सिटी की स्थापना
24-वृहत् निर्माण कार्य 2500.00

प्रदेश में विज्ञान पार्क / साइंस सिटी / नक्षत्रशालाओं की स्थापना

प्रदेश में विज्ञान पार्क / साइंस सिटी / नक्षत्रशालाओं की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.01 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.01 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5425- अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय
800- अन्य व्यय
08- प्रदेश में विज्ञान पार्क / साइंस सिटी / नक्षत्रशालाओं की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य	3000.00
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2000.00
60-भूमि क्रय	1.00
योग -	5001.00

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

बेसिक शिक्षा विभाग के विघालयों/कस्तूरबा गांधी बालिका विघालयों हेतु निर्माण

बेसिक शिक्षा विभाग के विघालय/कस्तूरबा गांधी बालिका विघालय के समीप छात्रावास निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
10- विभाग के विघालयों / कस्तूरबा गांधी विघालयों के समीप छात्रावास का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विघालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाना

विघार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के समस्त प्राथमिक विघालयों में चरणबद्ध रूप से स्मार्ट क्लास एवं आई.सी.टी. लैब की स्थापना कर इन्हें स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
12- समग्र शिक्षा योजना के अन्तर्गत सभी प्राथमिक विघालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया जाना
24-वृहत् निर्माण कार्य 30000.00

शिक्षा विभाग हेतु एकीकृत नवीन कार्यालय भवन का निर्माण

विभागीय कार्यों के त्वरित सम्पादन तथा विभिन्न योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के उद्देश्य से विभिन्न निदेशालयों/कार्यालयों के लिए एकीकृत बहुमंजलीय भवन के निर्माण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
13- शिक्षा विभाग हेतु एकीकृत नवीन कार्यालय भवन का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1.00

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्

औपचारिक शिक्षा से वंचित युवक/युवतियों के लिये माध्यमिक स्तर तक दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 99.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 99.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202-	सामान्य शिक्षा	
02-	माध्यमिक शिक्षा	
103-	अनौपचारिक शिक्षा	
03-	उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	99.00

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद

औपचारिक शिक्षा से वंचित युवक/युवतियों के लिये माध्यमिक स्तर तक दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद की स्थापना के लिए पूंजीगत पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 340.52 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 340.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202-	शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सामान्य शिक्षा	
202-	माध्यमिक शिक्षा	
20-	उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	340.52

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

उ.प्र. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024

प्रदेश के असेवित एवं आकांक्षी जनपदों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने तथा विदेशी विश्वविद्यालयों एवं शीर्ष रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालयों (निजी विश्वविद्यालयों) को प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता
09- उ.प्र. उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 1000.00

भारतीय भाषा पुस्तक योजना का क्रियान्वयन

स्कूल व उच्चतर शिक्षा के लिये भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिये भारतीय भाषा पुस्तक योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
106- पाठय पुस्तक विकास
03- भारतीय भाषा पुस्तक योजना
42-अन्य व्यय 100.00

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थियों को छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन राशि

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने हेतु शोधार्थियों को छात्रवृत्ति / प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
107- छात्रवृत्तियां
03- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्याल, वाराणसी के शोधार्थियों को छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि
42-अन्य व्यय 200.00

प्रदेश के छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन हेतु 'The Chevening Uttar Pradesh Government Scholarship' कार्यक्रम अन्तर्गत छात्रवृत्ति

यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा संचालित 'Chevening Programme' के अन्तर्गत यूनाइटेड किंगडम में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार तथा The Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) के सहयोग से संचालित किये जाने वाले 'The Chevening Uttar Pradesh Government Scholarship' कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 05 छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 200.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 200.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
107- छात्रवृत्तियां
04- छात्रों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति
42-अन्य व्यय 200.00

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनान्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजनान्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 400.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 400.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
800- अन्य व्यय
18- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
42-अन्य व्यय 40000.00

प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना

प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत समावेशी एवं समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा Socio-Economically Disadvantaged Group को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने के लिये स्पेशल एजुकेशन जोन बनाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
03- विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा
800- अन्य व्यय
25- प्रदेश में स्पेशल एजुकेशन जोन स्थापित किया जाना
42-अन्य व्यय 500.00

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निर्माणाधीन महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा निर्माणाधीन महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर उच्च शिक्षा विभाग के मानकों के अनुरूप बनाते हुए संचालित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01- सामान्य शिक्षा

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

24- प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना

24-वृहत् निर्माण कार्य 1200.00

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु

विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के लिए शिक्षकों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किये जाने के लिए राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 672.46 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 672.46 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
04- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्था का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 672.46

कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.आई.) लखनऊ का सुदृढ़ीकरण

कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.आई.) लखनऊ के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
01- सामान्य शिक्षा
201- प्रारम्भिक शिक्षा -
05- कालेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.), लखनऊ का सुदृढ़ीकरण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश के 04 मण्डल मुख्यालयों-मेरठ, सहारनपुर, झाँसी तथा मिर्जापुर में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतन-भत्तों एवं अन्य संबंधित व्ययों के उद्देश्य से 04 नवीन अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2230-	श्रम, रोजगार और कौशल विकास	
01-	श्रम	
111-	श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा	
12-	अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन	
	20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25.00
	31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	25.00
	योग -	50.00

अनुदान संख्या 077

श्रम विभाग (सेवायोजन)

सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों का निर्माण

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों का निर्माण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1.00 लाख की प्रतीक व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

203- रोजगार

05- सेवायोजन कार्यालयों के भवनों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नये भवनों के निर्माण

24-वृहत् निर्माण कार्य 1.00

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम

सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट 2013 के सेक्शन-8 के अन्तर्गत एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें	
090- सचिवालय	
08- उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	500.00

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार

अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन, शोषित, वंचित व्यक्तियों तक कल्याणकारी योनजाओं के सफल क्रियान्वयन के उद्देश्य से संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
03- पिछड़े वर्गों का कल्याण
800- अन्य व्यय
03- अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार- प्रसार
42-अन्य व्यय 100.00

दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवाकालीन प्रशिक्षण

दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय मद हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 50.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 50.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
29- दिव्यांगजनों के प्रशिक्षण हेतु सेवाकालीन प्रशिक्षण
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 50.00

बचपन डे केयर सेन्टर्स का नवीन संचालन

प्रदेश के बुन्देलखण्ड के अवशेष 05 जनपदों यथा जनपद- बाँदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर तथा ए.ई./जे.ई. से प्रभावित 23 जनपदों यथा- महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीरनगर, मऊ, बलिया, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, मुजफ्फरनगर, शामली, प्रतापगढ़, कानपुर देहात, गाजीपुर एवं जौनपुर में कुल 28 नवीन बचपन डे केयर सेन्टर्स खोले जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 13.65 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 13.65 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
31- बचपन, नर्सरी स्कूलों का संचालन
42-अन्य व्यय 1365.00

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, मोहान रोड, लखनऊ में दिव्यांग हितैषी पाठ्यक्रमों का संचालन

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, मोहान रोड, लखनऊ में दिव्यांग हितैषी पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 74.37 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 74.37 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
33- अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, मोहान रोड, लखनऊ में दिव्यांग हितैषी पाठ्यक्रमों का संचालन

12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45.00
42-अन्य व्यय	15.00
58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	14.37
योग -	74.37

दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु संस्थाओं को सहायता

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वासन (शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं कौशल विकास इत्यादि) के लिए संस्थाओं को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
39- विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगजन (मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण दिव्यांगजन को छोड़कर) के सर्वांगीण पुनर्वासन (शिक्षण, प्रशिक्षण, जागरूकता एवं कौशल विकास इत्यादि) हेतु संस्थाओं के लिए सहायता

20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2000.00

नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण

08 समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए विद्यालय भवन एवं 100 दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 22.50 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 22.50 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
05- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

24-वृहत् निर्माण कार्य	2250.00

बचपन डे केयर सेन्टर्स का भवन निर्माण

जनपद गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद, बस्ती एवं सहारनपुर में बचपन डे केयर सेन्टर्स के भवन निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
18- बचपन डे केयर सेंटर्स का भवन निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

बाधारहित खेल सुविधाओं की स्थापना एवं विकास

दिव्यांगजन के खेलकूद के विकास के उद्देश्य से प्रदेश में स्थापित स्टेडियमों, खेल और संरचनाओं को बाधारहित करने तथा विभागीय विद्यालयों में बाधारहित खेल सुविधाओं के स्थापना एवं विकास कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
20- बाधारहित खेल सुविधाओं की स्थापना एवं विकास
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में निर्माण

जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, चित्रकूट में कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी आवास टाइप-1, 2, 3, 4 तथा (बी.एड. दृष्टिबाधितार्थ / श्रवणबाधितार्थ) प्रभाग के निर्माण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 10.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02- समाज कल्याण
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण
35- जगदगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट
24-वृहत् निर्माण कार्य 1000.00

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को शिक्षा से सेवित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए राजस्व व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 130.28 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 130.28 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2202- सामान्य शिक्षा
02- माध्यमिक शिक्षा
796- जनजातीय उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0104- प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)
42-अन्य व्यय 130.28

प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-2.0 हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 3463.78 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 3463.78 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0103- प्रधानमंत्री आवास योजना - सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-(2.0) (के.60/रा.40-के.+रा.)
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 3463.78

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (टी.एम.सी.) की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 34.52 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 34.52 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0119- प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (के.100/रा.00-के.)
42-अन्य व्यय 34.52

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

जनजातीय बाहुल्य ग्रामों को शिक्षा से सेवित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए पूंजीगत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 825.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 825.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
02- तकनीकी शिक्षा
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0104- प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 825.00

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान

प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अन्तर्गत जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्र (टी.एम.सी.) की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 845.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 845.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4225- अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ
0119- प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (के.100/रा.00-के.)
24-वृहत् निर्माण कार्य 845.00

अनुदान संख्या 082

सतर्कता विभाग

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर कानपुर व झाँसी में कार्यालय भवन

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर कानपुर व झाँसी में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 12.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 12.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
03-	सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण	
0301-	सतर्कता अधिष्ठान, झाँसी	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
0302-	सतर्कता अधिष्ठान, कानपुर	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	600.00
	योग -	1200.00

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर – बरेली, प्रयागराज, वाराणसी व अयोध्या में कार्यालय भवन का निर्माण

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सेक्टर – बरेली, प्रयागराज, वाराणसी व अयोध्या में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4059-	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	कार्यालय भवन	
051-	निर्माण	
03-	सतर्कता अधिष्ठान के कार्यालय भवन का निर्माण	
0303-	सतर्कता अधिष्ठान, बरेली	
	60-भूमि क्रय	696.00
0304-	सतर्कता अधिष्ठान, प्रयागराज	
	60-भूमि क्रय	576.00
0305-	सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी	
	60-भूमि क्रय	1165.00
0306-	सतर्कता अधिष्ठान, अयोध्या	
	60-भूमि क्रय	63.00
	योग -	2500.00

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)

प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-2.0

प्रधानमंत्री आवास योजना- सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-2.0 हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 48492.92 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 48492.92 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2217- शहरी विकास
05- अन्य शहरी विकास योजनाये
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं
0103- प्रधानमंत्री आवास योजना - सब के लिए आवास (शहरी) मिशन-(2.0) (के.60/रा.40-के.+रा.)

35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	48492.92

सूकर पालन की योजना

प्रदेश के गरीब, भूमिहीन परिवारों की आय में वृद्धि तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सूकर बाहुल्य जनपदों में सूकर पालन योजना को संचालित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403- पशु पालन
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
11- सूकर पालन की योजना (रा.90/ला.10-रा.)

08-कार्यालय व्यय	1.18
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.80
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.19
39-औषधि तथा रसायन	2.19
42-अन्य व्यय	28.39
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	262.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.95
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.30
योग -	300.00

बकरी पालन की योजना

प्रदेश के 75 जनपदों में अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि के उद्देश्य से बकरी पालन की योजना को संचालित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 300.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 300.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2403-	पशु पालन	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
12-	बकरी पालन की योजना (रा.90/ला.10-रा.)	
39-	औषधि तथा रसायन	8.10
42-	अन्य व्यय	27.30
43-	सामग्री एवं सम्पूर्ति	264.60
	योग -	300.00

क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल)

क्षेत्रीय विकास निधि (पूर्वांचल) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 125.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 125.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	पिछड़े क्षेत्र	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03-	पूर्वांचल की विशेष योजनायें	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	12500.00

क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड)

क्षेत्रीय विकास निधि (बुन्देलखण्ड) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 75.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4575-	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	
02-	पिछड़े क्षेत्र	
789-	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
04-	बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	
24-	वृहत् निर्माण कार्य	7500.00

प्रमुख / अन्य जिला मार्गों का उच्चीकरण

प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के उच्चीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 212.10 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 212.10 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
05- राज्य प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 21210.00

राज्य राजमार्गों का चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण

राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 84.84 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 84.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
03- राज्य राजमार्ग
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
06- राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 8484.00

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)

शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 3181.50 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 3181.50 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
04- सेतु निर्माण
0405- शहरी क्षेत्रों में सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)
24-वृहत् निर्माण कार्य 3181.50

जनपद प्रयागराज में सलोरी से हेतापट्टी तक गंगा जी पर नये पुल का निर्माण

जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूँसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 63.63 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 63.63 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
07- जनपद प्रयागराज में सलोरी (प्रयागराज शहर की तरफ) से हेतापट्टी (झूंसी साइड पर गारापुर की दिशा में) तक गंगा जी पर नये पुल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 6363.00

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल का निर्माण

जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 84.84 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 84.84 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
08- जनपद प्रयागराज में यमुना नदी पर नैनी पुल के समानान्तर एक नये पुल का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 8484.00

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण (नये कार्य)

रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं का निर्माण (नये कार्य) हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 106.05 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 106.05 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
19- रेलवें उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था
24-वृहत् निर्माण कार्य 10605.00

ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 95.44 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 95.44 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
20- ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 9544.00

आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण

नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 148.47 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 148.47 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
04- जिला तथा अन्य सड़कें
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
21- नाबार्ड पोषित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नये सेतुओं का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 14847.00

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

विशिष्ट महानुभावों/विदेशी अतिथियों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएँ

प्रदेश के आर्थिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट महानुभावों/विदेशी अतिथियों के आगमन पर उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के लिए गुप्त सेवा व्यय की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

800- अन्य व्यय

05- मुख्यमंत्री प्रोटोकाल अभिसूचना

23-गुप्त सेवा व्यय 100.00

अनुदान संख्या 089

राज्य कर विभाग

प्रदेश के जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण

प्रदेश के जनपदों में राज्य कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 750.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 750.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4216-	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
01-	सरकारी रिहायशी भवन	
700-	अन्य आवास	
09-	प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	750.00

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर

निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 30.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 30.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
101- ललित कला शिक्षा	
05- निषादराज गुहा सांस्कृतिक केन्द्र, श्रृंगवेरपुर	
20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20.00
31-सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	10.00
योग -	30.00

विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों में विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 20.00 करोड़ की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
19- विभिन्न अवसरों पर सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन	
42-अन्य व्यय	2000.00

गुरू स्वामी हरिदास जी की स्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह

गुरू स्वामी हरिदास जी की स्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति	
102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन	
20- गुरू स्वामी हरिदास जी की स्मृति में अन्तर्राष्ट्रीय संगीत समारोह	
42-अन्य व्यय	100.00

अभिलेखों का संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार में संरक्षित दुर्लभ पाण्डुलिपियों, ऐतिहासिक अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
104- अभिलेखागार
04- उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार के अभिलेखों के संरक्षण एवं डिजिटाइजेशन
42-अन्य व्यय 100.00

जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में नवनिर्मित थारू संस्कृति संग्रहालय का प्रबन्धन

जनपद बलरामपुर के इमिलिया कोडर में नवनिर्मित थारू संस्कृति संग्रहालय के संचालन एवं रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2205- कला एवं संस्कृति
107- संग्रहालय
03- अधिष्ठान व्यय
42-अन्य व्यय 100.00

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार के अन्तर्गत भवनों का निर्माण

उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार के अन्तर्गत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 500.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
104- अभिलेखागार
03- राज्य अभिलेख--
24-वृहत् निर्माण कार्य 500.00

जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, अयोध्या

जनपद अयोध्या में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े वीर सेनानियों एवं क्रान्तिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई की याद के साथ ही गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से संबंधित सामग्री को भी प्रदर्शित किये जाने के उद्देश्य से जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, अयोध्या की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
106- संग्रहालय
03- जिला स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, अयोध्या
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के नवीन परिसर का निर्माण

भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के नवीन परिसर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 100.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 100.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
04- कला तथा संस्कृति
800- अन्य व्यय
06- भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के नवीन परिसर का निर्माण
24-वृहत् निर्माण कार्य 100.00

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना अंतर्गत अनुरक्षण कार्य

डिजिटल वाटर लेवल रिकार्डर की स्थापना अंतर्गत अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 150.00 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 150.00 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2702- लघु सिंचाई
80- सामान्य
052- मशीनरी तथा उपस्कर
03- डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर की स्थापना
29-अनुरक्षण 150.00

इण्डिया-इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट योजना

इण्डिया-इजराइल बुन्देलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1521.30 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1521.30 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
102- भू जल
06- इंडिया-इजराइल बुंदेलखण्ड वाटर प्रोजेक्ट
24-वृहत् निर्माण कार्य 1521.30

अनुदान संख्या 094

सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 1643.39 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 1643.39 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2700-	मुख्य सिंचाई	
24-	रसिन बांध / नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
101-	रख रखाव एवं मरम्मत	
03-	अन्य रख-रखाव व्यय	
0301-	अनुरक्षण कार्य	
	29-अनुरक्षण	49.26
0302-	विशेष मरम्मत	
	29-अनुरक्षण	30.00
0304-	सिल्ट सफाई	
	29-अनुरक्षण	10.50
	योग -	89.76
80-	सामान्य	
800-	अन्य व्यय	
17-	आरटीडीएएस/एचआईएश/एससीएडीए/बैराज कन्ट्रोल रूम/ए.डी.सी.पी. का संचालन एवं अनुरक्षण/विविध कार्य का अनुरक्षण	
	29-अनुरक्षण	1553.63
	कुल योग -	1643.39

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 298.34 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 298.34 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2701-	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई		
77-	आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)		
101-	रख-रखाव और मरम्मत		
13-	दिल्ली राज्य में यमुनोत्री परिसर स्थित अतिथिगृह भवनों, प्रेक्षागृह, अन्य राजकीय भवनों तथा परिसर की बागवानी आदि		
	29-अनुरक्षण		102.74
14-	नलकूप कॉलोनी, उरई में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के अनुरक्षण का कार्य		
	29-अनुरक्षण		19.71
		योग -	122.45
97-	हिण्डन कृष्णी नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)		
101-	रख-रखाव एवं मरम्मत		
03-	अन्य रख-रखाव व्यय		
0301-	अनुरक्षण कार्य		
	29-अनुरक्षण		64.60
0302-	विशेष मरम्मत		
	29-अनुरक्षण		64.60
0304-	सिल्ट सफाई		
	29-अनुरक्षण		46.69
		योग -	175.89
		कुल योग -	298.34

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ नियंत्रण एवं जल निकासी के विभिन्न संगठनों में स्थापित प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन के लिये राजस्व पक्ष हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 2415.55 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 2415.55 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

2711-	बाढ़ नियत्रण तथा जल निकास	
03-	जल निकास	
103-	सिविल निर्माण - कार्य	
05-	सर्वेक्षण	
	29-अनुरक्षण	2415.55

---

302 मुख्य सिंचाई की परियोजनायें

मुख्य सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 244811.89 लाख की आवश्यकता है |

तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 244811.89 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरे
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 12847.88
05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 7538.52
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 1090.00
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 15686.03
17- आगरा शहर में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल ताज महल की नींव की सुरक्षा, नौकायन, सौन्दर्यीकरण व दृश्याभिराम,वातावरण बनाने, पानी भण्डारण करने, भू-जल स्तर सुधारने हेतु ताज महल के1.50 किमी0 डाउन स्ट्रीम में रबर बैराज की निर्माण की परियोजना (वाणिज्यिक)
24-वृहत् निर्माण कार्य 5000.00
60-भूमि क्रय 1000.00
योग - 6000.00
योग - 21686.03
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य
24-वृहत् निर्माण कार्य 30023.00
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)
051- निर्माण
10- नहरें
1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य		15079.00
10- केन बेतवा लिंक नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
01- केन्द्र प्रोयोजित योजनायें		
0101- केन-बेतवा लिंक परियोजना कम्पोनेन्ट-1(बी) (के.90/रा.10-के.+रा.)		
42-अन्य व्यय		59000.00
0102- केन बेतवा लिक परियोजना कम्पोनेन्ट-2 (के.60/रा.40 (30% ब्याजू केन्दीय ऋण+10% राज्यांश)-के.+रा.)		
42-अन्य व्यय		15000.00
10- सम्बद्ध कार्य		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1930.00
	योग -	75930.00
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		5680.00
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरे		
1014- सम्बत्द्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		12806.47
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		3914.00
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)		
24-वृहत् निर्माण कार्य		500.00
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		1065.00
	योग -	1565.00
21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)		
051- निर्माण		
10- नहरें		
1014- सम्बद्ध कार्य		
24-वृहत् निर्माण कार्य		11957.84

22- मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरे

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 4732.92

32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

97- बाह्य सहायतित योजनायें

9703- डैम रिहैबिलीटेशन एण्ड इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट (ड्रिप) (70 विश्व बैंक : 30 राज्य)

24-वृहत् निर्माण कार्य 15035.55

36- गण्डक नहर प्रणाली की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 4579.70

39- वृहद एवं मध्यम लिफ्ट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

13- विभिन्न लिफट पम्प नहरों के आधुनिकीकरण की परियोजना(नाबार्ड)

24-वृहत् निर्माण कार्य 3945.98

97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना(वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य 16400.00

कुल योग - 244811.89

मध्यम सिंचाई की परियोजनायें

मध्यम सिंचाई की निम्नांकित परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 25034.23 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 25034.23 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	
05- घाघर एवं गरई नहरें (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	231.18
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरे	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00
07- केन नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00
08- दोहरी घाट पम्प नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
13- बानगंगा नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
19- धसान नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1014- सम्बद्ध कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	149.35
26- टोन्स पम्प नहर (वाणिज्यिक)	
051- निर्माण	
10- नहरें	
1006- पुनर्स्थापना	
24-वृहत् निर्माण कार्य	800.00

31- सुरहाताल पम्प नहर (बाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	379.12

33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1013- सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड पोषित)

24-वृहत् निर्माण कार्य	500.00

39- कबरई बांध / नहरें (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

05- बांध

0514- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	710.00
60-भूमि क्रय	10000.00
योग -	10710.00

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	961.41
योग -	11671.41

75- बड़ा गांव पम्प नहर (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	850.00

93- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों का पुनरोद्धार की परियोजना (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

05- बांध

0514- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	1307.85

07- बैराज

0714- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	6695.32

16- विभिन्न बैराजों / बांधों के जल यांत्रिक प्रणालियों के स्वचालित किये जाने संबंधी कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
योग -	8303.17

97- नहरों पर क्षतिग्रस्त, पक्की संरचनाओं यथा पुल/पुलिया साइफन फॉल हेड रेगुलेटर, गेट्स के निर्माण की परियोजना हेतु मुश्त व्यवस्था (वाणिज्यिक)

051- निर्माण

10- नहरें

1014- सम्बद्ध कार्य

24-वृहत् निर्माण कार्य	400.00
कुल योग -	25034.23

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की परियोजनायें

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी की निम्नांकित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 में रूपये 87777.87 लाख की आवश्यकता है | तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में रूपये 87777.87 लाख की व्यवस्था कर ली गई है ।

2-आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि का लेखा शीर्ष के अनुसार विभाजन - (रूपये लाख में)

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
01- बाढ़ नियंत्रण	
052- मशीनरी तथा उपस्कर	
03- नवीन सम्पूर्ति	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00
04- मरम्मत	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	400.00
05- गाड़ी भाड़ा	
26-मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	800.00
योग -	2000.00
103- सिविल निर्माण कार्य	
01- केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0102- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनाएं (ए.आई.बी.पी. पोषित)(के.25/रा.75-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	4107.87
0103- त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना एवं जल संसाधन कार्यक्रम के अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र में नदी में सुधार व कटाव निरोधक परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (ए 0 आई 0 बी0 पी0) (के.100/रा.0-के.)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	3314.00
06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें	
0605- पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	300.00
07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य	
24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
08- तट बंधों का निर्माण	
0838- योजनाओं / परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि के क्रय हेतु (राज्य सेक्टर)	
60-भूमि क्रय	100.00
0839- सुदृढ़ीकरण/उच्चीकरण की नई परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	7500.00
0840- तटबंधों के निर्माण / सुदृढीकरण / उच्चीकरण की परियोजनाएं	
24-वृहत् निर्माण कार्य	614.00
0841- सड़क निर्माण एवं मरम्मत की पिरयोजना व अन्य (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
09- कटाव निरोधक योजनायें	
0982- जन जागरूकता एवं जल सहभागित कार्यक्रम की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00

0983-	नई परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	8000.00
0984-	नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाओं हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
	60-भूमि क्रय	50.00
0985-	नदियों के व्यवहार एवं सिल्ट के संबंध में शोध की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
0986-	परियोजनाओं के वास्तविक समय आधारित प्रणाली स्थापित करने की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
0987-	नदी एवं जल संबंधित आंकड़ों का वास्तविक संकलन, प्रेषण एवं आंकलन की परियोजनाऐं हेतु एकमुश्त व्यवस्था (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	50.00
10-	तटबंधों का निर्माण / सुदृढ़ीकरण / उच्चीकरण एवं कटाव निरोधक कार्यों की परियोजनाएं व अन्य (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	100.00
23-	नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	10464.00
24-	नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाएँ (नाबार्ड पोषित) एकमुश्त बजट व्यवस्था (नई)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
25-	सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	3500.00
	योग -	78749.87
03-	जल निकास	
103-	सिविल निर्माण कार्य	
03-	जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)	
0305-	पुनरोद्धार की परियोजनाएं (राज्य सेक्टर)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	200.00
07-	जल निकास योजना (नावार्ड पोषित)	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	1828.00
08-	जल निकास योजना (नाबार्ड पोषित) एकमुश्त व्यवस्था नई	
	24-वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
	योग -	7028.00
	कुल योग -	87777.87